सिविल सेवा परीक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ साप्ताहिक समसामयिक पत्रिका

PERFECT 7

साप्ताहिक समसामयिकी

जून 2021 | अंक 04

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

www.dhyeyaias.com

ध्येय IAS : एक परिचय

विनय कुमार सिंह
संस्थापक एवं सी.ई.ओ.

हम इस मंत्र में विश्वास रखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है; प्रत्येक व्यक्ति निपुण है एवं प्रत्येक व्यक्ति में असीमित क्षमता है। ध्येय IAS हमेशा से आत्मप्रेरणादायक मार्गदर्शन को प्रोत्साहित करता रहा है जिससे कि छात्रों के भीतर ज्ञान का सृजन हो सके। शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य ज्ञान के सृजन, प्रसार एवं अनुप्रयोग को एकीकृत रूप में पिरोकर एक सह-क्रियाशील प्रभाव उत्पन्न करना है। ध्येय IAS हमेशा से ही छात्रों के भीतर मानवीय मूल्यों एवं सत्यनिष्ठा को विकसित करने का पक्षधर रहा है जिससे कि उनमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो और वे एक ऐसी परिस्थिति का सृजन करें जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए भी बेहतर हो। ध्येय IAS नये और प्रभावशाली तरीकों से अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए प्रत्येक छात्र को हर प्रयास में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। इसके लिए हम निरंतर और निर्बाध रूप से अपने अध्ययन कार्यक्रम और शिक्षण पद्धतियों में परिवर्तन एवं परिमार्जन करते रहते हैं।

सिविल सेवा परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रतियोगी छात्रों में केवल ज्ञान के प्रति जुनून ही नहीं उत्पन्न करता है बल्कि यथार्थ जीवन में उसका प्रयोग भी सिखाता है। ध्येय IAS प्रतियोगी छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करता है साथ ही उनमें ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा जैसे मूल्यों का भी सृजन करता है।

क्यू. एच. खान
प्रबंध निदेशक

ध्येय IAS एक ऐसा संस्थान है जिसका लक्ष्य हमेशा से ही छात्रों के समग्र विकास का रहा है। हमारे संस्थान के शिक्षक अपने-अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं जिससे कि छात्रों को प्रत्येक विषय में अधिकतम मदद प्राप्त हो सके। यह एक ऐसा बहुमुखी संस्थान है जहाँ छात्रों को उच्चस्तरीय कक्षाओं और समृद्धशाली अध्ययन सामग्री के साथ-साथ हरसंभव सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

आज ध्येय IAS सिविल सेवा परीक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी पहचान रखता है, क्योंकि हम उच्चस्तरीय एवं गुणवत्तापूर्ण प्रदर्शन में विश्वास रखते हैं। हम छात्रों को ज्ञान की परिधि बढ़ाने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते रहते हैं ताकि वे पाठ्यक्रम के दायरे से सदैव दो कदम आगे रहें। हमारा मुख्य उद्देश्य छात्रों को उनकी आन्तरिक क्षमता का बोध कराना होता है जिससे कि वे अपनी एक अलग पहचान बनाकर कल के समाज का कीर्तिमान बन सकें।

Perfect 7 : एक परिचय

कुरबान अली
मुख्य संपादक

मैं उत्साहपूर्वक यह बताना चाहता हूँ कि 'Perfect 7' का नया स्वरूप छात्रों एवं पाठकों के लिए और अधिक जानकारियों को एक अत्यंत आकर्षक स्वरूप में लेकर सामने आ रहा है। इस कार्य के लिए संपादकीय दल को मेरी शुभेच्छा। शुरूआत से ही ध्येय IAS द्वारा रचित 'Perfect 7' को पाठकों का बेहद प्रेम और स्नेह मिलता रहा है। किसी भी संस्था का नाम एवं प्रसिद्धि उसके छात्रों एवं शिक्षकों की दक्षता एवं उपलब्धियों पर निर्भर करती है। एक शिक्षक का मुख्य कार्य उसके छात्रों की क्षमताओं का निर्माण कर उसे सफलता के मार्ग पर अग्रसर करना होता है, उसी क्रम में यह पत्रिका इस संस्थान की शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए उसके छात्रों एवं पाठकों में समसामयिकी मुद्दों पर एक व्यापक दृष्टिकोण को विकसित करने के लक्ष्य को लेकर प्रकाशित की जा रही है जिसके द्वारा विभिन्न प्रबुद्ध शिक्षकों, लेखकों एवं छात्रों को एक मंच पर सम्मिलित किया जा रहा है, ताकि वे अपने नवाचार युक्त विचारों को एक दूसरे के साथ साझा कर सकें।
इस क्रम में किये जा रहे कठिन परिश्रम को मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।

आशुतोष सिंह
प्रबंध संपादक

हमने अपनी साप्ताहिक पत्रिका का ना केवल नाम 'Perfect 7' रखा है, बल्कि उसे 'परफेक्ट' बनाने के लिए हर संभव प्रयास भी किया है। यह सर्वविदित है कि किसी कार्य की शुरूआत सबसे चुनौतीपूर्ण होती है और सबसे महत्वपूर्ण भी। इसलिए यह स्थिति हमारे सामने भी आयी।

हमारे लिए यह चुनौती और भी बड़ी इसलिए साबित हुई क्योंकि हमने अपनी पत्रिका की गुणवत्ता के लिए अत्यधिक उच्च मानक तय किया। हमने शुरूआत में ही तय कर लिया था कि हम पत्रिका के नाम पर प्रतिभागियों को 'सूचनाओं का कचरा' नहीं प्रदान करेंगे। हमने यह निश्चय किया कि सिविल सेवा की परीक्षा को केंद्र में रखते हुए, हम उन्हें 'Perfect 7' के रूप में वह रामबाण देंगे जो सीधे लक्ष्य को भेदेगा। इसके लिए हमने 'मल्टी फिल्टर' और 'सिक्स सिगमा' प्रणाली को अपनाया जिसके तहत अलग-अलग स्तरों पर चर्चा कर अंततः उन विषयों और मुद्दों को इसमें समाहित किया जाता है जहाँ से परीक्षा में प्रश्नों का पूछा जाना अधिसंभाव्य है।

इसके अतिरिक्त प्रत्येक स्तर पर गलतियों को दूर कर 'Perfect 7' को त्रुटिहीन, प्रवाहपूर्ण और आकर्षक रूप से आपके सामने लाया जाता है। गुणवत्तापूर्ण सामग्री देने के अतिरिक्त, समयबद्ध रूप से इसको आपके समक्ष लाना भी हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि यह एक साप्ताहिक पत्रिका है। हमें इस बात का बेहद हर्ष एवं गर्व है कि पहले अंक से लेकर इस अंक तक कोई भी सप्ताह ऐसा नहीं रहा जब 'Perfect 7' अपने तय समय पर प्रकाशित न हुई हो।

'Perfect 7' का यह जो नया संस्करण हम आपके सामने ला रहे हैं, इसमें हमारे परिश्रम से कहीं ज्यादा आपके प्रेम और स्नेह की भूमिका है जिसकी वजह से हम बिना रूके, बिना थके प्रत्येक सप्ताह आपके लिए यह पत्रिका प्रकाशित करते हैं। आपकी शुभकामनाओं से यह क्रम आगे भी जारी रहेगा।

प्रस्तावना

हमने 'PERFECT 7' पत्रिका को सिविल सेवा परीक्षा के प्रतियोगी छात्रों को ध्यान में रखकर बनाया है। सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का चयन कर 'PERFECT 7' में सात महत्वपूर्ण मुद्दों एवं खबरों का संकलन किया जाता है। इसके अतिरिक्त सात ब्रेन बूस्टर्स, सात महत्वपूर्ण तथ्य, पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं एवं सात महत्वपूर्ण ग्राफिक्स के माध्यम से संकल्पनाओं का समावेशन 'PERFECT 7' को सिविल सेवा परीक्षा के लिए 'गागर में सागर' साबित करता है।

'PERFECT 7' के सात महत्वपूर्ण मुद्दों का संकलन करते समय उन मुद्दों के पक्ष, विपक्ष, विशेषताओं तथा उनसे भारत एवं विश्व पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा प्रस्तुत की जाती है, ताकि छात्र उन मुद्दों के बारे में एक समझ विकसित कर सकें। 'PERFECT 7' के सात महत्वपूर्ण खबरों के जरिए छात्रों को सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी उपलब्ध करायी जाती है। इस पत्रिका के सात महत्वपूर्ण तथ्यों एवं पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं के जरिए हम अपने छात्रों को अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सिविल सेवा परीक्षा के सभी पहलुओं को समाहित करना है। 'PERFECT 7' के सात ब्रेन बूस्टर्स के जरिए समसामयिक विषयों की जानकारी संक्षेप में एवं आकर्षक रूप में प्रस्तुत की जाती है जिससे कि छात्रों द्वारा इसे सरलता से आत्मसात किया जा सके। इसके अतिरिक्त इस पत्रिका में अभ्यास प्रश्नों का समावेशन छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है। अन्य पत्रिकाओं की भांति हम छात्रों को केवल सतही जानकारी उपलब्ध कराने में विश्वास नहीं रखते बल्कि सारगर्भित बहुपक्षीय और त्रुटिरहित जानकारी प्रदान करने का अथक प्रयास करते हैं जिससे सिविल सेवा में हमारे छात्र सफलता अर्जित कर सकें, क्योंकि छात्रों की सफलता ही हमारी पत्रिका की कसौटी है। हमने अपने अथक प्रयास एवं परिश्रम के जरिए 'PERFECT 7' पत्रिका को 'परफेक्ट' बनाने का कार्य किया है, फिर भी यदि कोई त्रुटि रह गयी हो तो उसे सुधारने में आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं।

जीत सिंह
सम्पादक, ध्येय IAS

संघ लोक सेवा आयोग व अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा प्रारम्भिक व मुख्य परीक्षा में विगत कुछ वर्षों से राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित प्रश्नों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है। इसकी पुष्टि विगत वर्षों में संपन्न हुई परीक्षाओं के प्रश्न पत्र से की जा सकती है। इसलिए हमने 'PERFECT 7' पत्रिका के माध्यम से उन मुद्दों एवं खबरों का संकलन किया है, जो परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। 'PERFECT 7' पत्रिका न केवल प्रारम्भिक व मुख्य परीक्षा के लिए उपयोगी है, बल्कि यह साक्षात्कार के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। इसमें समसामयिक घटनाओं को बेहद रोचक ढंग से तालिका,फ्लोचार्ट एवं चित्रों के माध्यम से समझाया गया है। 'PERFECT 7' के सात महत्वपूर्ण मुद्दों को संकलित करते समय हमारा प्रयास न केवल उन मुद्दों के सभी पहलुओं अर्थात् एक स्पष्ट विश्लेषणात्मक सांचे में ढालने का रहा है बल्कि ऐसे मुद्दों का इसमें विस्तृत विवेचन भी किया गया है, जिनका अन्य समसामयिक पत्रिकाओं में जिक्र तक नहीं होता है। 'PERFECT 7' के सात ब्रेन बूस्टर्स के माध्यम से समसामयिक विषयों की जानकारी को बेहद सटीकता व आकर्षक रूप से प्रस्तुत किया गया है, जिससे छात्रों को कम समय में भी उपयोगी जानकारी सुलभ हो सके। इसके अतिरिक्त 'PERFECT 7' पत्रिका में सात महत्वपूर्ण खबरें, सात महत्वपूर्ण पीआईबी, सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न व सात महत्वपूर्ण तथ्यों का समावेश भी किया गया है। इस पत्रिका में अभ्यास प्रश्नों का समावेशन छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि किसी भी पत्रिका में तथ्यों की मात्रा से ज्यादा महत्वपूर्ण उसकी गुणवत्ता होती है, इसलिए इसी सिद्धांत का अनुपालन करके हमने सारगर्भित रूप में यह पत्रिका आपके सम्मुख प्रस्तुत की है, चूंकि कोई भी कृति अंतिम नहीं होती है, उसमें सुधार की सदैव संभावनाएँ विद्यमान रहती हैं। अतः सभी छात्रों से अनुरोध है कि अपने बहुमूल्य सुझावों व समालोचनाओं से हमें अवगत कराएं।

अवनीश पाण्डेय
सम्पादक, ध्येय IAS

सिविल सेवा परीक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ साप्ताहिक समसामयिक पत्रिका

PERFECT 7

साप्ताहिक समसामयिकी

जून 2021 | अंक 04

ध्येय टीम

संस्थापक एवं सी.ई.ओ.	विनय कुमार सिंह
प्रबंध निदेशक	क्यू. एच. खान
मुख्य संपादक	कुरबान अली
प्रबंध संपादक	आशुतोष सिंह
संपादक	जीत सिंह अवनीश पाण्डेय ओमवीर सिंह चौधरी
मुख्य लेखक	अजय सिंह अहमद अली स्नेहा तिवारी
लेखक	अशरफ अली गिरराज सिंह हरिओम सिंह अंशुमान तिवारी
समीक्षक	रंजीत सिंह रामयश अग्निहोत्री
आवरण सज्जा एवं विकास	संजीव कुमार झा पुनीश जैन
विज्ञापन एवं प्रोन्नति	गुफरान खान राहुल कुमार
प्रारूपक	कृष्ण कुमार कृष्णकांत मंडल मुकुन्द पटेल
कार्यालय सहायक	हरीराम राजू यादव

विषय सूची

- सप्ताह के प्रमुख मुद्दे 1-14
- सप्ताह के चर्चित व्यक्ति 15-18
- सप्ताह के चर्चित स्थान 19-22
- सप्ताह के प्रमुख राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय दिवस 23-26
- ब्रेन बूस्टर 27-34
- स्वयं को जाँचें (वस्तुनिष्ठ प्रश्न) 35-39
- स्वयं को जाँचें (विषयनिष्ठ प्रश्न) 40-41

ध्येयIAS
most trusted since 2003

DHYEYA IAS
302, A-10/11, Bhandari House,
Near Chawla Restaurants,
Dr. Mukherjee Nagar,
Delhi-110009

OUR OTHER INITIATIVES

UDAAN TIMES
Putting You Ahead of Time...
Hindi & English
Current Affairs
Monthly
News Paper

DHYEYA TV
Current Affairs Programmes hosted
by Mr. Qurban Ali
(Ex. Editor Rajya Sabha, TV) & by Team Dhyeya IAS
(Broadcasted on YouTube & Dhyeya-TV)

सप्ताह के प्रमुख मुद्दे

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- सिनेमेटोग्राफ (संशोधन) विधेयक-2021
- न्यायाधीशों का सुनवाई से खुद को अलग करना
- संयुक्त राष्ट्र में म्यांमार संबंधी प्रस्ताव एवं भारत

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- चिल्ड्रेन एंड डिजिटल डंपसाइट: डब्ल्यूएचओ रिपोर्ट
- ओडिशा में मैंग्रोव वन लगाने की योजना
- गोल्ड हॉलमार्किंग और इसकी अनिवार्यता
- न्यूट्रिनो का अंतरिक्ष पर प्रभाव
- चेन्नई-कन्याकुमारी औद्योगिक गलियारा
- समुद्र का बढ़ता जलस्तर बढ़ने से लक्षद्वीप के लिए संकट
- हर्बिसाइड टॉलरेंट (HT) बीटी कॉटन
- स्टाईगारक्टस केरलेंसिस
- हरित हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन
- ग्रेट बैरियर रीफ
- इबोला (Ebola)
- डेल्टा प्लस वैरिएंट

सामान्य अध्ययन-2

शासन व्यवस्था, संविधान, राजव्यवस्था, सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध

1. सिनेमेटोग्राफ (संशोधन) विधेयक-2021

चर्चा का कारण

- हाल ही में सिनेमेटोग्राफ ऐक्ट 1952 में संशोधन के लिए सरकार ने नया ड्राफ्ट 18 जून को जारी किया। 2 जुलाई तक ये ड्राफ्ट सरकार ने पब्लिक और फिल्म मेकर्स की राय जानने के लिए सार्वजनिक रखा है।

पृष्ठभूमि

- 2013 में कांग्रेस सरकार के इन्फॉर्मेशन एंड ब्राडकास्टिंग मिनिस्ट्री के हेड मनीष तिवारी ने जस्टिस मुकुल मुद्गल की अध्यक्षता में एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी।
- इस कमेटी की रिपोर्ट में कुछ मुख्य तथ्य निम्नलिखित थे-
  - फिल्म के सीन्स ना काटे जाएं।
  - बोर्ड सिर्फ फिल्म का सर्टिफिकेशन करे।
  - U/A12+ और U/A15+जैसी कैटेगरीज को जोड़ा जाए।
- 2016 में जब अभिषेक चौबे की फिल्म 'उड़ता पंजाब' की कांट-छांट का विरोध हुआ तो उस समय के इन्फॉर्मेशन एंड ब्राडकास्टिंग मिनिस्ट्री हेड अरुण जेटली ने डायरेक्टर श्याम बेनेगल की अध्यक्षता में अपनी एक्सपर्ट कमेटी बनाई। इस कमेटी के मुख्य बिन्दु निम्नलिखित थे-
- 12+ और 15+ दो तरह के U/A सर्टिफिकेट जारी किए जाएं।
- 18+ फिल्में यानी एडल्ट फिल्मों को भी A तथा AC (एडल्ट विद कॉशन) दो तरह के सर्टिफिकेट दिए जाएं।

सिनेमेटोग्राफ (संशोधन) विधेयक-2021 के प्रमुख प्रावधान

- इस विधेयक के माध्यम से केंद्र सरकार को 'पुनरीक्षण करने की शक्ति' (Revisionary Powers) प्रदान की गई है, साथ ही केंद्र सरकार को 'केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड' (CBFC) द्वारा अनुमोदित फिल्मों की 'पुनः जांच' करने में सक्षम बनाया गया है।
- विधेयक में आयु-आधारित वर्गीकरण और श्रेणीकरण का प्रावधान लागू करने का प्रस्ताव किया गया है। इसके तहत, फिल्मो के लिए मौजूदा श्रेणियों (U, U/A और A) को दोबारा आयु-आधारित समूहों (U/A 7+, U/A 13+ और U/A 16+) में विभाजित करने का प्रस्ताव है।
- ज्ञातव्य है कि वर्तमान में, फिल्म पायरेसी को रोकने के लिए कोई सक्षम प्रावधान नहीं है। विधेयक में पायरेसी की समस्या पर लगाम लगाने के लिए प्रावधान किए गये हैं, जिनका उल्लंघन करने पर कारावास और जुर्माने की सजा भुगतनी होगी।
- इसके अंतर्गत, फिल्मों को सदा के लिए प्रमाणित करने का प्रस्ताव है। वर्तमान में CBFC द्वारा जारी प्रमाण पत्र केवल 10 वर्षों के लिए वैध होते हैं।

सरकार का पक्ष

- सरकार, जिन फिल्मों पर उसके लिए शिकायतें प्राप्त होती हैं, उन फिल्मों के लिए सुपर-सेंसर के रूप में कार्य करने हेतु अपनी शक्तियों का प्रयोग करने का औचित्य साबित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 19 में उल्लखित 'उचित प्रतिबंधों' का हवाला देती है।

चुनौतियाँ

- पुनर्प्रमाणन के लिए आदेश देने की केंद्र की शक्ति, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) द्वारा संचालित मौजूदा प्रक्रिया के तहत उल्लिखित प्रत्यक्ष सरकारी सेंसरशिप (Government Censorship) में एक अतिरिक्त परत जोड़ सकती है।
- फिल्म प्रमाणन के सबंध में उच्चतम न्यायालय ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है, कि सरकार को सेंसरशिप की मांग करने का कोई अधिकार नहीं है, और जब एकबार 'केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड' किसी फिल्म को प्रमाणित कर देता है, उसके बाद सरकार इस विषय पर शक्तिहीन हो जाती है। विधेयक में प्रस्तावित प्रावधान शीर्ष अदालत के इस विचार के विपरीत हैं।
- अकसर, किसी फिल्म की प्रमाणन प्रक्रिया के बाद किंतु उसकी रिलीज से ठीक पहले विभिन्न समूहों या व्यक्तियों द्वारा आपत्ति जताई जाती है। प्रस्तावित नए नियमों के लागू होने से, फिल्मों को यादृच्छिक आपत्तियों के आधार पर पुनः प्रमाणन के लिए लंबे समय तक रोका जा सकता है, भले ही इनके लिए CBFC प्रमाणित कर चुका हो।

केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC)

- यह सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है, जो सिनेमेटोग्राफ अधिनियम, 1952 के प्रावधानों के तहत फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन को नियंत्रित करता है। बोर्ड में गैर-आधिकारिक सदस्य और एक अध्यक्ष (जिनमें से सभी केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किये जाते हैं) होता है और इसका मुख्यालय मुंबई में है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा प्रमाणित होने के बाद ही फिल्मों को भारत में (सिनेमा हॉल, टीवी चौनलों पर) सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जा सकता है।

2. न्यायाधीशों का सुनवाई से खुद को अलग करना

चर्चा का कारण

- हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के दो न्यायाधीश न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस एवं न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी ने पश्चिम बंगाल से जुड़े मामलों में दायर याचिकाओं पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। गौरतलब है कि न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी पश्चिम बंगाल में हुए चुनाव के बाद हुई हिंसा के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या की सीबीआई / एसआईटी जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थीं, जबकि न्यायाधीश न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस नारद स्टिंग मामले के संबंध में सुनवाई कर रहे थे।

एक न्यायाधीश सुनवाई से खुद को अलग कैसे कर सकता है?

- जब हितों का टकराव होता है, तो एक न्यायाधीश मामले की सुनवाई से पीछे हट सकता है ताकि यह धारणा पैदा न हो कि उसने मामले का फैसला करते समय पक्षपात किया है।दूसरे शब्दों में कहें तो हितों का टकराव यानी कनफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट (conflict of interest) तब पैदा होता है जब व्यक्ति की कोई प्रमुख निष्ठा दूसरी निष्ठाओं से टकराती है।
- कनफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट (conflict of interest) कई तरह से हो सकता है - एक वादी कंपनी में शेयर रखने से लेकर मामले में शामिल किसी पक्ष के साथ पूर्व या व्यक्तिगत संबंध रखने तक।
- यह प्रथा कानून की उचित प्रक्रिया के मुख्य सिद्धांत से उपजी है कि कोई भी अपने ही मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता है। कोई भी हित या हितों का टकराव किसी मामले से हटने का आधार होगा क्योंकि निष्पक्ष कार्य करना न्यायाधीश का कर्तव्य है।

इस संबंध में नियम

- वैसे तो सर्वोच्च अदालत में किस जज और किस बेंच को कौनसा मामला सौंपा जाएगा, इसका फैसला मुख्य न्यायाधीश ही करते हैं। किन्तु न्यायाधीशों द्वारा किसी मामले की सुनवाई से खुद को अलग करना उनके विवेक पर छोड़ा गया है। वर्तमान में न्यायाधीशों को

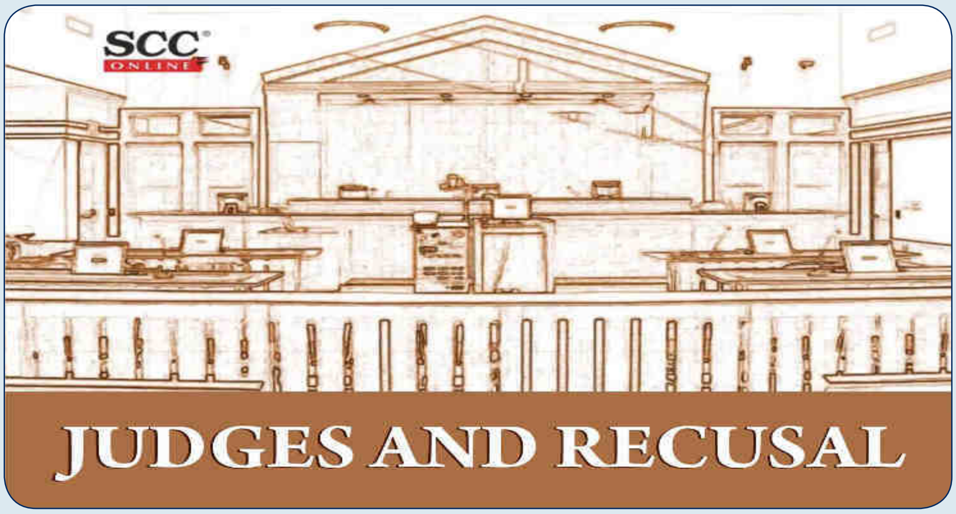

किसी मामले की सुनवाई से खुद को अलग करते समय उसकी वजह बताने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। दूसरे शब्दों में कहें तो इसके लिए कोई औपचारिक नियम नहीं है।

- रंजीत ठाकुर बनाम भारत संघ (1987) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पक्षपात की संभावना तभी उपज सकती है जब न्यायाधीश का संबंध सुनवाई से जुड़े मामले से हो। न्यायाधीश के लिए उचित दृष्टिकोण यही है कि मामले से संबंधित तथ्यों अथवा पक्षकारों से व्यक्तिगत तौर पर उसका परिचय न हो।
- इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय के 1999 के चार्टर 'न्यायिक जीवन में मूल्यों की बहाली' (Restatement of Values in Judicial Life) में कहा गया है कि एक न्यायाधीश उस कंपनी में किसी मामले की सुनवाई और निर्णय नहीं करेगा जिसमें वह शेयर रखता है, या किसी प्रकार की रुचि रखता है।

क्या कोई जज किसी सुनवाई से खुद को अलग करने से इंकार कर सकता है?

- भारत की न्याय प्रणाली में सिर्फ जजों को ही यह फैसला लेने का अधिकार है कि वो खुद को किसी सुनवाई से अलग करना (Recusal) चाहेंगे या नहीं। कई बार याचिकाकर्ता खुद अपील करते हैं कि किसी जज को सुनवाई से हट जाना चाहिए। संबंधित जज उस अपील को मानेगा या नहीं, ये उसके ऊपर है।
- हालांकि ऐसे कुछ उदाहरण हैं जहां न्यायाधीशों ने किसी मामले से हटने से इनकार कर दिया है। उदाहरण के लिए 2019 में न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने पार्टियों के कई अनुरोधों के बावजूद संविधान पीठ से खुद को अलग करने से इनकार कर दिया था। न्यायमूर्ति मिश्रा ने तर्क दिया था कि बहिष्कार का अनुरोध वास्तव में 'फोरम शॉपिंग' का एक बहाना था और सहमत होना न्यायपालिका की स्वतंत्रता से समझौता कर सकता है।
- अयोध्या-रामजन्मभूमि मामले में न्यायमूर्ति यू यू ललित ने खुद को संविधान पीठ से उस वक्त अलग कर लिया, जब पार्टियों ने उनके ध्यान में लाया कि वह मामले से संबंधित एक आपराधिक मामले में एक वकील के रूप में पहले पेश हुए थे।
- एक मानवाधिकार कार्यकर्ता हर्ष मंदर ने न्यायमूर्ति गोगोई से ही अपील की थी कि वो असम राज्य से अवैध अप्रवासियों की पहचान और निर्वासन से संबंधित एक सुनवाई से खुद को अलग कर लें क्योंकि वो खुद असम के रहने वाले हैं और उनके पिछली कुछ टिप्पणियां ऐसी हैं जिनमे अप्रवासियों के खिलाफ पूर्वाग्रह का आरोप लग सकता है। न्यायमूर्ति गोगोई ने ये अपील खारिज करते हुए खुद को इस सुनवाई से अलग करने से मना कर दिया था और कहा था, 'हम किसी को भी सर्वोच्च अदालत को धौंस देने की इजाजत नहीं देंगे'। उन्होंने ये भी कहा था, "जजों का मामलों से हटना इस संस्थान के लिए विनाशकारी होगा।"

3. संयुक्त राष्ट्र में 'म्यांमार संबंधी प्रस्ताव' एवं भारत

चर्चा का कारण

- हाल ही में, भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा (United Nation General Assembly -UNGA) में म्यांमार के खिलाफ शस्त्र प्रतिबंध लगाए जाने संबंधी प्रस्ताव पर होने वाले मतदान में यह कहते हुए भाग नहीं लिया कि इस मसौदे में भारत के दृष्टिकोण शामिल नहीं हैं।
- संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 'म्यांमार में स्थिति' मसौदा प्रस्ताव को स्वीकृत किया। इसके पक्ष में 119 देशों ने मतदान किया, जबकि म्यांमार के पड़ोसी देश भारत, बांग्लादेश, भूटान, चीन, नेपाल, थाईलैंड और लाओस समेत 35 देशों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। बेलारूस एकमात्र ऐसा देश था, जिसने प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया।

भारत ने मतदान में भाग क्यों नहीं लिया?

- भारत का कहना है कि वो इस प्रस्तावित मसौदे से असहमत है और पड़ोसी देश होने के नाते रचनात्मक दृष्टिकोण जरूरी है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस मामले का शांतिपूर्ण समाधान करने की कोशिश कर रहा है।
- भारत का कहना है कि वह म्यांमार में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बहाली की दिशा में लगातार अपना प्रयास जारी रखेगा ताकि म्यांमार के लोगों की आकांक्षाओं और आशाओं का सम्मान किया जा सके और उसे पूरा किया जा सके। भारत के अनुसार संयुक्त राष्ट्र आम सभा का यह प्रस्ताव लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने की दिशा में उसके प्रयासों से मेल नहीं खाता।

संयुक्त राष्ट्र आम सभा के प्रस्ताव के बारे में

- दरअसल, म्यांमार में वर्ष 2020 से ही आपातकाल जैसे हालात हैं। वहां पिछले साल सेना ने तख्तापलट कर दिया था और कई बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। इस मसले को लेकर हाल ही में UNGA ने एक प्रस्ताव पारित किया था। इसमें कहा गया था कि 8 नवंबर 2020 के आम चुनाव के नतीजों पर म्यांमार की सेना को आम लोगों की इच्छा का सम्मान करना चाहिए, ताकि देश में

इमरजेंसी के हालात खत्म हों और लोगों के मानवाधिकारों को सम्मान मिल सके।
- इसके अलावा सभी तरह के राष्ट्रीय संस्थाओं को पूरी तरह से समावेशी नागरिक सरकार के तहत लाने की दिशा में काम करना चाहिए।
- यह प्रस्ताव यूरोपीय संघ और कई पश्चिमी देशों एवं दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के 10 सदस्यीय संघ (आसियान), जिसमें म्यांमार भी शामिल है, सहित तथाकथित 'कोर ग्रुप' की लंबी बातचीत का परिणाम था।

म्यांमार का भारत के लिए महत्व

- म्यांमार न सिर्फ भारत का एक महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है बल्कि सुरक्षा और कूटनीति की दृष्टि से भी यह भारतीय विदेश नीति में महत्वपूर्ण स्थान रखता रहा है। भारत को खास तौर से इसके पूर्वोत्तर के प्रदेशों को, म्यांमार दक्षिणपूर्व एशिया से जोड़ता है और इस लिहाज से आर्थिक और जनसंपर्क के दृष्टिकोण से भी यह बहुत महत्वपूर्ण है।
- सुरक्षा, आतंकवाद और अलगाववाद से लड़ने में भारत के लिए म्यांमार बहुत महत्वपूर्ण है। भारत की सीमा से सटे इलाकों में 2015 की "हाट पर्सूट" की कार्यवाही हो या अलगाववादियों का प्रत्यर्पण, म्यांमार ने एक भरोसेमंद और मदद के लिए तत्पर पड़ोसी की भूमिका अदा की है। इसकी एक और झलक मई 2020 में तब देखने को मिली जब म्यांमार के अधिकारियों ने 22 उत्तरपूर्वी अलगाववादियों को भारत को प्रत्यर्पित कर दिया।
- चीन के म्यांमार में बढ़ते निवेश को लेकर भी भारत की चिंताएं बढ़ी हैं। खास तौर पर ऊर्जा के क्षेत्र में चीन ने काफी निवेश किया है। भारत भी ऊर्जा क्षेत्र में म्यांमार के साथ सहयोग का फायदा उठाना चाहता है और शायद यही वजह है कि कभी म्यांमार की राजधानी और अभी भी व्यापार और वाणिज्य का केंद्र माने जाने वाले यांगून के नजदीक भारत 6 अरब डॉलर की एक पेट्रोलियम रिफायनरी प्रोजेक्ट लगाना चाहता है।
- म्यांमार के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने में मणिपुर को हमेशा से खास दर्जा मिला है। भारत की एक्ट ईस्ट नीति में मिजोरम पर भी ध्यान बढ़ा है। मणिपुर के मोरेह की तरह मिजोरम में जोखावथार लैंड कस्टम स्टेशन की स्थापना और अब बॉर्डर हाट इसी का परिचायक है। सितवे पोर्ट के जल्द ही तैयार हो जाने की संभावना है। अगर ऐसा होता है तो सितवे पोर्ट भारत के म्यांमार और दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य देशों से भारत के आर्थिक व्यापारिक सहयोग को बढ़ाने में मददगार होगा।

संयुक्त राष्ट्र आम सभा

- संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र अधिकारपत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर होने के साथ हुई थी। तभी से लेकर वर्तमान समय तक ये विश्व कल्याण और शांति के लिए निरंतर काम कर रहा है।
- इसका मकसद अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने में सहयोग करना, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानव अधिकार और विश्व शांति है।

सामान्य अध्ययन-3

प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव-विविधता, पर्यावरण, सुरक्षा तथा आपदा-प्रबंधन

4. चिल्ड्रेन एंड डिजिटल डंपसाइटः डब्ल्यूएचओ रिपोर्ट

चर्चा का कारण

- हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चिल्ड्रन एंड डिजिटल डंपसाइट्स (Children and Digital Dumpsites) शीर्षक से प्रकाशित नई रिपोर्ट में कहा है कि बेकार इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों या ई-कचरे के कारण अनौपचारिक प्रसंस्करण में काम करने वाले बच्चे जोखिम में हैं।

ई-वेस्ट से आशय

- ई-वेस्ट से आशय पुराने, उम्र पूरी कर चुके, फेंक दिए गए बिजली चालित तमाम उपकरणों से है। इसमें कम्प्यूटर, फोन, फ्रिज, एसी से लेकर टीवी, बल्ब, खिलौने और इलेक्ट्रिक टूथब्रश जैसे गैजेट तक शामिल हैं।

रिपोर्ट के प्रमुख बिन्दु

- निम्न और मध्यम आय वाले देशों में ई-कचरा डंपिंग स्थलों पर काम करने वाले 1.8 करोड़ बच्चे और किशोर (इनमें से कुछ की उम्र तो पांच वर्ष से भी कम है) अनौपचारिक रूप से औद्योगिक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं,जिससे इनके स्वास्थ्य को गंभीर खतरा है।
- रिपोर्ट के अनुसार 1.29 करोड़ (12.9 million) महिलाएं कचरे से जुड़े अनौपचारिक क्षेत्र में काम करती हैं, जो उन्हें संभावित रूप से जहरीले इलेक्ट्रॉनिक कचरे के संपर्क में लाता है। इससे न केवल उन महिलाओं के स्वास्थ्य पर साथ ही उनके अजन्में बच्चों को भी खतरे में डाल रहा है।
- अकसर बच्चों के माता-पिता और उनका ध्यान रखने वाले उन्हें इलेक्ट्रॉनिक कचरे की रीसाइक्लिंग के काम में लगा देते हैं क्योंकि उनके छोटे-छोटे हाथ बड़ों की तुलना में कहीं ज्यादा कुशल होते हैं।
- वहीं अन्य बच्चे जो इस इलेक्ट्रॉनिक कचरे के आसपास रहते हैं या स्कूल जाते हुए इनके संपर्क में आते हैं या फिर रीसाइक्लिंग सेंटर के आस-पास खेलते हैं उनके इस कचरे में मौजूद जहरीले केमिकल्स के संपर्क में आने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। इस कचरे में मौजूद सीसा और पारा उन बच्चों की बौद्धिक क्षमता को नुकसान पहुंचा सकता है।

स्वास्थ्य को कैसे नुकसान पहुंचाता है ई-वेस्ट?

- ई-कचरे के संपर्क में आने वाले बच्चे छोटे आकार, अपने कम विकसित अंगों और विकास की तीव्र दर के कारण उनमें मौजूद जहरीले केमिकल्स के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील होते हैं। वे अपने आकार की तुलना में अधिक प्रदूषकों को अवशोषित करते हैं। उनका शरीर विषाक्त पदार्थों को झेलने और शरीर से बाहर निकालने में वयस्कों की तुलना में कम सक्षम होता है।
- ई- वेस्ट (e-waste) में 1,000 से अधिक कीमती धातुएँ और अन्य पदार्थ जैसे सोना, तांबा, सीसा, पारा, कैडमियम, क्रोमियम, पॉलीब्रोमिनेटेड बाइफिनाइल और पॉलीसाइक्लिक एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन आदि शामिल होते हैं। इनका प्रसंस्करण कम आय वाले देशों में किया जाता है, जिनके पास उचित सुरक्षा विनियमन नहीं है जिससे यह प्रक्रिया और भी खतरनाक बन जाती है।
- वहीं एक गर्भवती महिला के इस कचरे के संपर्क में आने से न केवल उसके बल्कि उसके अजन्मे बच्चे के स्वास्थ्य और विकास पर भी खतरा होता है। इसके कारण बच्चे का समय से पहले जन्म, मृत्यु और उसके विकास पर असर पड़ सकता है। साथ ही यह उसके मानसिक विकास, बौद्धिक क्षमता और बोलने की क्षमता को भी प्रभावित कर सकता है।
- साथ ही यह बच्चों की सांस लेने की क्षमता और फेफड़ों के कार्यप्रणाली पर भी असर डालता है। यह बच्चों के डीएनए को नुकसान पहुंचा सकता है। इससे थायरॉयड सम्बन्धी विकार और बाद में उनमें कैंसर और हृदय रोग के खतरे को बढ़ा सकता है।

विश्व भर में उत्पादित ई-कचरे की मात्रा

- ग्लोबल ई-वेस्ट स्टैटिस्टिक्स पार्टनरशिप के अनुसार 2019 में वैश्विक स्तर पर करीब 5.36 मीट्रिक टन ई-कचरा उत्पन्न हुआ था, जोकि पिछले पांच वर्षों में करीब 21 फीसदी बढ़ गया है। यह इतना ई-कचरा है जिसके यदि कुल वजन का अनुमान लगाया जाए तो यह करीब 350 क्रूज जहाजों जितना भारी था और यदि इसे एक लाइन में रख दिया जाए तो इसकी लम्बाई करीब 125 किलोमीटर लम्बी होगी।
- अनुमान है कि आने वाले समय में जिस तरह कंप्यूटर, मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामन के प्रति रूचि बढ़ रही है उससे इस कचरे में और वृद्धि हो जाएगी।

- आंकड़ों के अनुसार इसमें से केवल 17.4 फीसदी कचरा ही औपचारिक रूप से प्रबंधन या पुनर्चक्रण सुविधाओं तक पहुंचा था। बाकी को अवैध रूप से कम या मध्यम आय वाले देशों में डंप कर दिया गया था जहां इसको अनौपचारिक तौर पर रीसायकल किया जाता है।
- पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी ई-कचरे का उचित तौर पर संग्रहण और पुनर्चक्रण महत्वपूर्ण है। 2019 में जितना ई-कचरा औपचारिक रूप रीसायकल किया गया था उससे करीब 1.5 करोड़ टन कार्बनडाइऑक्साइड में कमी आई थी।

भारत में ई-कचरे का उत्पादन एवं प्रबंधन:

- वर्ष 2018 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal - NGT) को बताया था कि भारत में ई-कचरे का 95 प्रतिशत पुनर्नवीनीकरण अनौपचारिक क्षेत्र द्वारा किया जाता है और अधिकांश स्क्रैप डीलर इसे अवैज्ञानिक तरीके से जलाकर या एसिड में घोलकर इसका निपटान करते हैं।
- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा NGT के साथ साझा किए गए डेटा से पता चलता है कि भारत में वर्ष 2019-20 में 10 लाख टन से अधिक ई-कचरा उत्पन्न हुआ था। वर्ष 2017-18 के मुकाबले वर्ष 2019-20 में ई-कचरे में 7 लाख टन की बढ़ोतरी हुई थी। इसके विपरीत 2017-18 से ई-कचरे के विघटन और पुनर्चक्रण की क्षमता में बढ़ोतरी नहीं हुई है।
- ई-वेस्ट प्रबंधन और परिचालन नियम 2011 के बदले केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ई-वेस्ट प्रबंधन नियम 2016 को अधिसूचित किया था। 2018 में इसमें उत्पादकों से जुड़े कुछ मुद्दों को लेकर संशोधन भी किए गए थे। विषैले और खतरनाक पदार्थों के अपशिष्ट (कचरे) के निपटान के लक्ष्य निर्धारित करने के अलावा विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व (एक्सटेन्डेड प्रोड्युसर रिस्पॉन्सिबिलिटी- ईपीआर) योजना बनाई गई है।
- ई-अपशिष्ट संग्रहण लक्ष्यों के मुताबिक 2019-20 में ईपीआर के तहत अपशिष्ट उत्पादन की मात्रा का वजन के हिसाब से 40 प्रतिशत संग्रहण का लक्ष्य रखा गया था। 2021-22 के लिए ये 50 प्रतिशत, 2022-23 के लिए 60 प्रतिशत और उससे आगे के लिए 70 प्रतिशत है। संशोधित नियमों में कहा गया है कि ई-अपशिष्ट का संग्रहण, भंडारण, परिवहन, नवीकरण, भंजन, पुनर्चक्रण और निपटान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की निर्देश के अनुसार होगा।

5. ओडिशा में मैंग्रोव वन लगाने की योजना

चर्चा का कारण

- हाल ही में ओडिशा सरकार ने तटीय क्षेत्र में लगभग 4,000 हेक्टेयर भूमि में मैंग्रोव और कैसुरिना (casuarinas) वृक्षारोपण करने का प्रस्ताव रखा है। गौरतलब है कि इस राज्य में लगभग 480 किलोमीटर लंबी तटीय पट्टी है। चूंकि यहाँ चक्रवात व अन्य प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बना रहता है, ऐसे में मैंग्रोव वन एक प्राकृतिक अवरोध के रूप में कार्य कर सकते हैं।

आवश्यकता क्यों?

- ओडिशा सरकार के वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग के अनुसार पिछले 130 वर्षों में ओडिशा तट पर 96 चक्रवात आ चुके हैं। ओडिशा अपनी अनूठी भू-जलवायु स्थिति के कारण चक्रवात, बाढ़, ओलावृष्टि, सूखे जैसी विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के प्रति काफी सुभेद्य रहता है।
- मैंग्रोव वनों को एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन परियोजना (आईसीजेडएमपी) चरण-II के तहत लगाया जाएगा। राज्य में कैसुरीना वृक्षारोपण का उद्देश्य चक्रवातों के दौरान तेज हवाओं के खिलाफ एक मजबूत, प्राकृतिक अवरोध खड़ा करना है।
- वर्तमान में इस राज्य के तीन जिलों में 219 वर्ग किलोमीटर मैंग्रोव वन हैं। 26 मई, 2021 को राज्य में आए चक्रवात यास के दौरान मैंग्रोव ने भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में चक्रवाती हवाओं के लिए एक प्राकृतिक अवरोध के रूप में कार्य किया था। लगभग 145 किमी की हवा की गति वाले चक्रवात ने कुछ अन्य क्षेत्रों को तबाह कर दिया, लेकिन इसका प्रभाव भितरकणिका राष्ट्रीय उद्यान में अपेक्षाकृत कम था।

मैंग्रोव वन

- मैंग्रोव वन उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में तटों, ज्वारनदमुखों, लैगून, पंक जमाव, ज्वारी क्रीक और बैक वाटर क्षेत्र में विकसित होने वाले ऐसे वन हैं जो अपनी जड़ों के जाल के माध्यम से तटीय क्षेत्रों की रक्षा करते हैं।
- मैंग्रोव मुख्यतः 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिणी अंक्षाशों के मध्य पाए जाते हैं। मैंग्रोव वनों का सर्वाधिक विस्तार, भूमध्य रेखा के दोनों और 5 डिग्री अक्षांशो के मध्य पाया जाता है।
- विश्व में सर्वाधिक मैंग्रोव वाले देशों में इंडोनेशिया, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, नाइजीरिया, मलेशिया, बांग्लादेश, म्यांमार तथा भारत शामिल हैं। भारत में लगभग 4900 वर्ग किलोमीटर पर इनका विस्तार पाया जाता है।
- भारत में भी इनका वितरण समान नहीं है। पूर्वी तट पर यह सर्वाधिक 58-60% पाए जाते हैं उसके बाद 22- 24% अरब सागर तथा 16- 18% द्वीपीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र प्रमुख मैंग्रोव वाले राज्य हैं।

मैंग्रोव वनों का महत्व

- मैंग्रोव वन धरती तथा समुद्र के बीच एक उभय प्रतिरोधी (बफर) की तरह कार्य करते हैं तथा समुद्री प्राकृतिक आपदाओं से तटों की रक्षा करते हैं। ये तटीय क्षेत्रों में तलछट के कारण होने वाले जान-माल के नुकसान को रोकते हैं।

- बहुत सी जीव प्रजातियों के लिये प्रजनन तथा उनके छोटे बच्चों के लिये आदर्श शरण स्थल, मैंग्रोव वनों द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। मैंग्रोव जड़ें तलछट तथा अन्य प्रदूषक तत्वों से प्रवाल भित्तियों यानी मूंगों की रक्षा करती हैं। बदले में मूंगे की चट्टानें तेज समुद्री लहरों के वेग को कम कर मैंग्रोव क्षेत्रों की रक्षा करती है। इस प्रकार मैंग्रोव और मूंगे एक-दूसरे की सहायता कर अपना अस्तित्व कायम रखते हैं।
- मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र मत्स्य उत्पादन के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। मछली तथा शंख मीन (शैल फिश) की बहुत सी प्रजातियों के लिए मैंग्रोव प्रजनन स्थल तथा संवर्धनग्रह की तरह कार्य करते हैं।
- मैंग्रोव वृक्ष पानी से कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों तथा मिट्टी के कणों को अलग कर देते हैं जिससे पानी साफ होता है तथा उसमें पोषक तत्वों की मात्रा बढ जाती है। यह अन्य सम्बद्ध पारिस्थितिकी तंत्रों के लिए लाभप्रद हैं। मैंग्रोव क्षेत्रों में प्रवाल भित्तियां, समुद्री शैवाल तथा समुद्री घास अच्छी तरह पनपती हैं।

6. गोल्ड हॉलमार्किंग और इसकी अनिवार्यता

चर्चा का कारण

- 16 जून 2021 से केंद्र सरकार ने सोने के आभूषणों की अनिवार्य हॉलमार्किंग के चरणबद्ध कार्यान्वयन की घोषणा की है। पहले चरण में, केवल 256 जिलों में सोने की हॉलमार्किंग उपलब्ध होगी और 40 लाख रुपये से अधिक वार्षिक कारोबार वाले जौहरी इसके दायरे में आएंगे।

आवश्यकता क्यों?

- भारत सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। हालांकि, देश में हॉलमार्क वाले ज्वैलरी का स्तर बहुत कम है। उपभोक्ता मामलों के विभाग के अनुसार भारतीय सोने के आभूषणों में से केवल 30% पर ही हॉलमार्क है। इसके पीछे मुख्य कारण पर्याप्त 'परख और हॉलमार्किंग केंद्रों' (Assaying and Hallmarking Centres–A-HC) की अनुपलब्धता है।
- देश भर में केवल 35,879 जौहरी हैं, जिन्हें बीआईएस द्वारा प्रमाणित किया गया है। भारत में हॉलमार्किंग केंद्रों (A-HC) की संख्या 945 है। सोने पर अनिवार्य हॉलमार्किंग की व्यवस्था होने से लोग धोखाधड़ी से बचेंगे और उन्हें शुद्धता के लिहाज से वही चीज मिलेगी, जिसके लिये उन्होंने भुगतान किया है।

गोल्ड हॉलमार्किंग क्या है?

- गोल्ड हॉलमार्किंग (gold hallmarking) सोने की शुद्धता (guarantee of purity or fineness) का एक सर्टिफिकेट है।

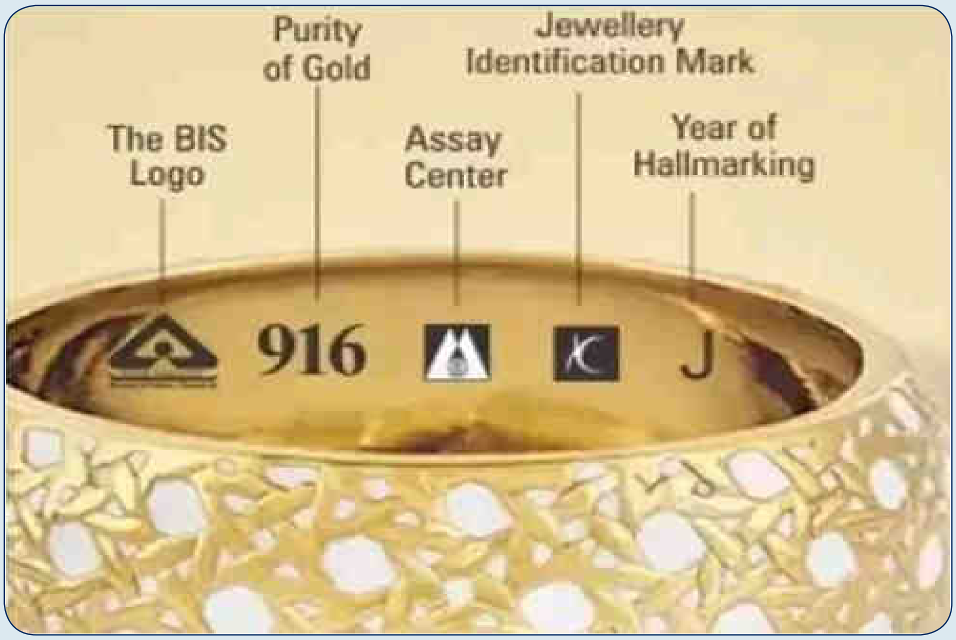

- हॉलमार्किंग को 'कीमती धातु की वस्तुओं एवं धातु की आनुपातिक सामग्री का सटीक निर्धारण और आधिकारिक रिकॉर्डिंग' के रूप में परिभाषित किया जाता है।
- भारतीय मानक ब्यूरो (Bureau of Indian Standard - BIS) भारत में सोने और चांदी की हॉलमार्किंग योजना संचालित करता है।

हॉलमार्किंग के दायरे में आने वाली धातुएं:

- सरकार ने 14 जून, 2018 को जारी एक अधिसूचना के माध्यम से दो श्रेणियों को अधिसूचित किया है- 1. सोने के आभूषण और सोने की कलाकृतियां और 2. चांदी के आभूषण और चांदी की कलाकृतियां।
- इस प्रकार भारत में हॉलमार्किंग केवल दो धातुओं-सोना और चांदी के आभूषणों के लिए उपलब्ध है।

अनिवार्य हॉलमार्किंग व्यवस्था से छूट वाली वस्तुएँ

- उपभोक्ता मामलों के विभाग के अनुसार आभूषण और वस्तुओं की एक निश्चित श्रेणी को हॉलमार्किंग की अनिवार्य आवश्यकता से छूट दी जाएगी।
- भारत सरकार की व्यापार नीति के अनुसार आभूषणों का निर्यात और पुन: आयात करने वाली इकाइयों को अनिवार्य हॉलमार्किंग व्यवस्था से छूट प्रदान की गयी है। इसके अतिरिक्त अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों के लिए आभूषण, सरकार द्वारा अनुमोदित बी 2 बी (व्यापारियों के बीच) घरेलू प्रदर्शनियों के लिए आभूषणों को अनिवार्य हॉलमार्किंग से छूट दी जाएगी।

- उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार सोने की घड़ियों, फाउंटेन पेन और विशेष प्रकार के आभूषण जैसे कुंदन, पोल्की और जड़ाऊ जैसी वस्तुओं को हॉलमार्किंग से छूट दी जाएगी।

कैसे होती है हॉलमार्किंग सोने की पहचान?

- हर कैरेट के सोने के लिए हॉलमार्क नंबर अंकित किए जाते हैं। ज्वैलर्स की ओर से 22 कैरेट के लिए 916 नंबर का इस्तेमाल किया जाता है। 916 लिखे होने पर ज्वेलरी में 91.6 प्रतिशत सोना होता है। बाकी के बचे प्रतिशत ज्वेलरी बनाने के दौरान अन्य धातुओं का इस्तेमाल किया जाता है।
- 18 कैरेट के लिए 750 नंबर का इस्तेमाल करते हैं और 14 कैरेट के लिए 585 नंबर का उपयोग किया जाता है। इन अंकों के जरिए आपको पता चल जाएगा कि सोना कितने कैरेट का है। कुल मिलकर हॉलमार्क में दिए गए नंबर से पता चलता है कि किस ज्वेलरी में कितना प्रतिशत सोना इस्तेमाल हुआ है।

7. न्यूट्रिनो का अन्तरिक्ष पर प्रभाव

चर्चा का कारण

- भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के तहत एक स्वायत्त संस्थान एस. एन. बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज (एसएनबीएनसीबीएस) ने प्रकाशित एक पेपर में बताया है कि अंतरिक्ष-समय की ज्यामिति क्वांटम प्रभावों के माध्यम से न्यूट्रिनो दोलनों का कारण बन सकती है, भले ही न्यूट्रिनो द्रव्यमान रहित हो। यह लेख 'यूरोपियन फिजिकल जर्नल सी' में प्रकाशित हुआ है।

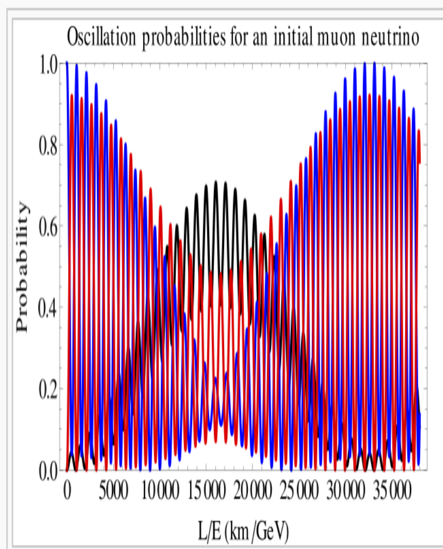

Muon neutrino oscillations, long range

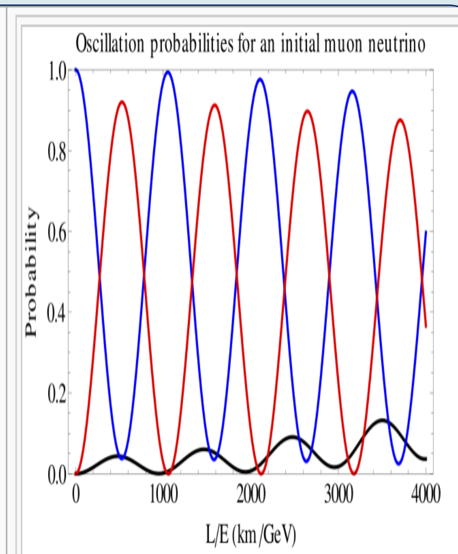

Muon neutrino oscillations, short range

न्यूट्रिनो क्या हैं?

- न्यूट्रिनो रहस्यमय कण हैं, जो सूर्य, सितारों और अन्य जगहों पर परमाणु प्रतिक्रियाओं में प्रचुर मात्रा में उत्पन्न होते हैं। न्यूट्रीनो उप-परमाण्विक कण होते हैं जो परमाणु संलयन, विखंडन, सुपरनोवा विस्फोट इत्यादि के दौरान उत्पन्न होते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह बिग-बैंग विस्फोट के दौरान भी न्यूट्रीनो उत्पन्न हुआ था।
- न्यूट्रिनो 'दोलन' भी करते हैं, जिसका अर्थ है कि विभिन्न प्रकार के न्यूट्रिनों एक दूसरे में बदल जाते हैं, जो कि कई प्रयोगों में साबित हुआ है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के अध्ययन में न्यूट्रिनो के दोलनों और द्रव्यमान के साथ उनके संबंधों की जांच बेहद अहम है।
- न्यूट्रीनो हर चीज के साथ बहुत कमजोर रूप में व्यवहार करते हैं। उनमें से खरबों हर इंसान के माध्यम से प्रत्येक सेकंड बिना किसी के देखे गुजरते हैं।
- एक न्यूट्रिनो का चक्कर हमेशा अपनी गति की विपरीत दिशा में इंगित होता है। कुछ साल पहले तक, न्यूट्रिनो को द्रव्यमान रहित माना जाता था। अब आमतौर पर यह माना जाता है कि न्यूट्रिनो को दोलनों की घटना के लिए थोड़े द्रव्यमान की आवश्यकता होती है।

न्यूट्रिनो की विशेषताएँ

- आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार गुरुत्वाकर्षण में अंतरिक्ष-समय घुमावदार होता है।
- न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अन्य कण जो कि फर्मियान की श्रेणी के हैं, गुरुत्वाकर्षण की उपस्थिति में चलने पर एक निश्चित विशेषता प्रदर्शित करते हैं।
- स्पेस-टाइम हर दो फर्मियान के बीच गुरुत्वाकर्षण के अलावा एक क्वांटम बल को प्रेरित करता है। यह बल कणों के घूमने पर निर्भर हो सकता है, और जब वे सूर्य के कोरोना या पृथ्वी के वायुमंडल के पदार्थों से गुजरते हैं, तो बड़े पैमाने पर न्यूट्रिनो दिखाई देते हैं।
- इलेक्ट्रोवीक इंटरैक्शन के लिए कुछ ऐसा ही होता है, और ज्यामितीय रूप से प्रेरित द्रव्यमान के साथ यह न्यूट्रिनो के दोलन का कारण बनने के लिए पर्याप्त है।

8. चेन्नई-कन्याकुमारी औद्योगिक गलियारा

चर्चा का कारण

- हाल ही में एशियाई विकास बैंक (एडीबी) और भारत सरकार ने तमिलनाडु में चेन्नई – कन्याकुमारी औद्योगिक गलियारे (Chennai–Kanyakumari Industrial Corridor CKIC) में परिवहन संपर्क में सुधार और औद्योगिक विकास को सुगम बनाने के लिए 484 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं।

औद्योगिक गलियारें क्या होते हैं?

- औद्योगिक गलियारा एक ऐसा आर्थिक पारिस्थितक तंत्र है जो परिवहन गलियारे के इर्द गिर्द खड़ा किया जाता है। इस तंत्र के जरिए दो बड़े आर्थिक केंद्रों को जोड़ा जाता है। इन दो केंद्रों की आर्थिक गतिविधियों के संचालन लिए ये परिवहन गलियारा एक तंत्रिका केंद्र की तरह काम करता है।
- परिवहन गलियारे के साथ-साथ अच्छी तरह से डिजाइन किए गए औद्योगिक गलियारे के अंतर्गत औद्योगिक उत्पादन के कई समूह संचालित होते हैं जो क्षेत्रीय और वैश्विक मांगों को पूरा करने का काम करते हैं। इसके अलावा शहरी केंद्र भी होते हैं जो न्यायपूर्ण विकास का प्रसार करते हैं।
- भारत की विकास यात्रा के मौजूदा चरण में औद्योगिक गलियारों के विकास से अर्थव्यवस्था के विभिन्न अंगों की क्षमता का पूरा लाभ उठाने का अवसर मिलेगा। इतना ही नहीं इससे पर्यावरण के अनुकूल और सामाजिक समानता के साथ विकास को बढ़ावा मिलेगा।
- अगर ठीक से अमल में लाया जाए तो औद्योगिक गलियारे से अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं मसलन बुनियादी ढांचे के निर्माण, कौशल विकास, रोजगार, आय में बढ़ोतरी, श्रम की उत्पादकता, कारोबारी प्रतिस्पर्धा और व्यापार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

औद्योगिक गलियारे के मुख्य लक्ष्य

- विनिर्माण क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करना और रोजगार के अवसर पैदा करना
- जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र के योगदान को बढ़ाना
- न्यायपूर्ण औद्योगिकरण और शहरीकरण को बढ़ावा देना
- श्रम की उत्पादकता और आय का स्तर बढ़ाना

चेन्नई-कन्याकुमारी औद्योगिक गलियारे का प्रमुख उद्देश्य

- सीकेआईसी भारत के पूर्वी तट आर्थिक गलियारे (ईसीईसी) का हिस्सा है, जोकि पश्चिम बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक फैला है और भारत को दक्षिण, दक्षिणपूर्व और पूर्वी एशिया के उत्पादन नेटवर्क से जोड़ता है।
- भारत के पूर्वी तट आर्थिक गलियारे (ईसीईसी) के विकास में एडीबी भारत सरकार का प्रमुख भागीदार है।
- यह परियोजना संपूर्ण औद्योगिक समूहों, परिवहन गेटवे और उपभोग केन्द्रों में निर्बाध सड़क संपर्क प्रदान करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और सीकेआईसी के लक्षित उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए उनके रसद और उत्पादन लागत को कम करने में मददगार है।
- इस परियोजना का समग्र उद्देश्य औद्योगिक विकास केन्द्रों के संपूर्ण विकास के लिए आवश्यक परिवहन, ऊर्जा और शहरी बुनियादी ढांचे के प्रावधान के जरिए औद्योगिक परिवर्तन को बढ़ावा देना है।

इस परियोजना से लाभ

- **परियोजना का विस्तार:** यह परियोजना सीकेआईसी के प्रभाव वाले क्षेत्रों में लगभग 590 किलोमीटर लंबे राज्य राजमार्गों का उन्नयन करेगी, जोकि तमिलनाडु में चेन्नई और कन्याकुमारी के बीच पड़ने वाले 32 जिलों में से 23 जिलों को कवर करते हैं।
- **रोजगार के अवसरों में वृद्धि:** दूरदराज के इलाकों और बंदरगाहों के साथ औद्योगिक केन्द्रों का उन्नत संपर्क विशेष रूप से वैश्विक उत्पादन नेटवर्क और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारतीय विनिर्माण की भागीदारी को बढ़ाने में मदद करेगी, जिससे इस गलियारे के इर्दगिर्द रोजगार पैदा होगा।
- **पर्यावरण के लिहाज से अनुकूल:** रणनीति 2030 और एडीबी की दीर्घकालिक कॉरपोरेट रणनीति के अनुरूप यह परियोजना स्थिरता, जलवायु परिवर्तन के लिहाज से लचीलापन और सड़क सुरक्षा से जुड़े तत्वों पर जोर देती है। राजमार्ग के उन्नयन क्रम में बेहतर जल निकासी, महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सड़क के तटबंधों को ऊपर उठाने और पुलों एवं पुलियों का आकार बदलने समेत जलवायु परिवर्तन के अनुकूल उपायों को शामिल किया जाएगा।
- **सड़क सुरक्षा सुधार कार्यक्रम में मजबूती:** यह परियोजना सड़क निगरानी और प्रवर्तन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली उन्नत प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सड़क सुरक्षा सुधार कार्यक्रमों को भी मजबूती प्रदान करेगी। इसके अलावा, यह परियोजना तमिलनाडु के राजमार्ग एवं लघु बंदरगाह विभाग की योजना निर्माण क्षमता में सुधार करने में मदद करेगी।
- **समावेशी एवं टिकाऊ विकास:** एडीबी चरम गरीबी को मिटाने के अपने प्रयासों को जारी रखते हुए एक समृद्ध, समावेशी, लचीला एवं टिकाऊ एशिया और प्रशांत क्षेत्र का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। 1966 में स्थापित इस संस्थान में 68 सदस्यों का स्वामित्व है, जिनमें से 49 इस क्षेत्र के हैं।

पांच औद्योगिक गलियारे

- भारत सरकार द्वारा पांच औद्योगिक गलियारा परियोजनाओं को प्रारंभ किया गया है। ये गलियारे औद्योगिकीकरण और नियोजित शहरीकरण को गति प्रदान करते है एवं समावेशी विकास को ध्यान में रखते हुए पूरे भारत में फैले हुए हैं-

1. दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा (DMIC)
2. अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारा (AKIC)
3. चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (CBIC)
4. विजाग चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (VCIC) के साथ ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर (ECEC)
5. बेंगलुरु मुंबई औद्योगिक गलियारा (BMIC)

9. समुद्र का बढ़ता जलस्तर लक्षद्वीप के लिए संकट

चर्चा का कारण

- हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत किए गए एक अध्ययन में आईआईटी-खड़गपुर के वैज्ञानिकों के एक समूह ने पाया है कि लक्षद्वीप के आसपास समुद्र का जलस्तर 0.4 मिमी से 0.9 मिमी प्रतिवर्ष के हिसाब से बढ़ेगा, जिससे कई द्वीपों में तटीय क्षरण हो सकता है और संभवतः छोटे टापुओं को जलमग्न की स्थिति का सामना भी करना पड़ सकता है।

अध्ययन के प्रमुख बिन्दु

- अध्ययन में दर्शाया गया है कि ग्रीन हाउस उत्सर्जन के परिणामस्वरूप समुद्र जल स्तर में बढ़ोतरी से यह पूरा द्वीप समूह संवेदनशील स्थिति में है।
- इस अध्ययन के अनुसार समुद्र के स्तर में बढ़ोतरी से लक्षद्वीप के चेलट और अमिनी जैसे छोटे द्वीपों को बहुत नुकसान होगा। समुद्र का बढ़ता जल इन द्वीपों की जमीन के एक बड़े हिस्से को निगल सकता है।
- इन अनुमानों के आधार पर अमिनी में 60 से 70 प्रतिशत के बीच तट रेखा और चेलट में 70 से 80 प्रतिशत तट रेखा पर समुद्र का पानी बढ़ सकता है।
- इसमें यह भी बताया गया है कि मिनिकॉय जैसे बड़े द्वीप और राजधानी कावारत्ती भी बढ़ते पानी के कोप से प्रभावित हो सकते हैं।
- यहाँ वर्तमान तटरेखा के 60 प्रतिशत हिस्से का समुदी जल की चपेट में आने की आशंका है। आंद्रोथ द्वीप के समुद्र तल में बढ़ोतरी से सबसे कम प्रभावित होने की संभावना है।

व्यापक सामाजिक-आर्थिक प्रभाव

- अध्ययन के अनुसार ऐसे घटनाक्रम के व्यापक सामाजिक-आर्थिक प्रभाव भी पड़ेंगे। शोधार्थियों का मानना है कि तट रेखा के समीप रहने वाले लोगों पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। मत्स्य पालन, कृषि और पर्यटन द्वीपवासियों के तीन मुख्य आर्थिक क्षेत्र हैं, जो सभी भी असुरक्षित हैं।
- द्वीपों में भूमि उपयोग पैटर्न इस प्रकार है कि अधिकांश आवासीय क्षेत्र द्वीपों की परिधि से जुड़े होते होते हैं और वहाँ के लोग द्वीप के केंद्र में खेती करते हैं, जिससे समुद्र के बढ़ते स्तर और क्षरण के लिए द्वीपों की भेद्यता बढ़ जाती है।
- इतना ही नहीं, इस द्वीप पर मौजूद इकलौता हवाईअड्डा अगाट्टी द्वीप के दक्षिणी सिरे पर अवस्थित है और समुद्रजल स्तर में बढ़ोतरी से उसको भारी नुकसान पहुँचने की आशंका व्यक्त की गई है।
- इस अध्ययन में सिर्फ समुद्र के जलस्तर के बढ़ने पर ही फोकस नहीं किया गया है, बल्कि लहरों से मिलने वाली ऊर्जा, अरब सागर के तूफानों के प्रभाव का अध्ययन, जलस्तर में इजाफे का असर, आवासीय द्वीपों पर पीने योग्य पानी की किल्लत संबंधी दिक्कतें, साफ-सफाई को भी शामिल किया गया है।

सुझाव

- समुद्र के बढ़ते जल स्तर से होने वाले संभावित नुकसान को कम से कम करने के लिए शोधार्थियों ने उचित संरक्षात्मक उपायों और समयबद्ध योजनाएं बनाने की अनुशंसा की है। अध्ययन की मदद से सरकारें और नीति बनाने वाले लोग सही फैसला ले सकते हैं कि कैसे समुद्र के बढ़ते जलस्तर से लक्षद्वीप को बचाया जाए।
- केंद्र सरकार को ऐसी नीतियां बनानी होंगी जो छोटे और लंबे समय के लिए फायदेमंद हो व इसका लाभ लक्षद्वीप समूह पर रहने वाली आबादी को मिल सके। इसके अतिरिक्त उन्हें प्राकृतिक तौर पर होने वाले नुकसानों की भरपाई हो सके।
- अध्ययन के अनुसार तटीय सुरक्षा उपायों को तत्काल शुरू करने की आवश्यकता है। सरकार दो तरह के उपाय अपना सकती है, पहला मैंग्रोव वनों का निर्माण किया जाये जोकि धरती तथा समुद्र के बीच एक उभय प्रतिरोधी (बफर) की तरह कार्य करते हैं तथा समुद्री प्राकृतिक आपदाओं से तटों की रक्षा करते हैं। ये तटीय क्षेत्रों में तलछट के कारण होने वाले जान-मान के नुकसान को रोकते हैं। दूसरा उपाय समुद्र के करीब दीवारों का निर्माण करना जो बेहद कठिन इंजीनियरिंग के साथ साथ बेहद महंगा है।

कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन (तटीय नियमन क्षेत्र अधिसूचना), 2018

- केंद्रीय कैबिनेट ने कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन (तटीय नियमन क्षेत्र अधि सूचना), 2018 को मंजूरी दी थी। इससे तटीय क्षेत्रों में गतिविधियां बढ़ेंगी, जिनसे आर्थिक ग्रोथ को बढ़ावा मिलेगा। इसमें उन क्षेत्रों के संरक्षण का भी ख्याल रखा गया है।
- साल 2004 में सूनामी के बाद से भारत के कोस्टल जोन रेगुलेशन (CRZ) का मुख्य मकसद हाई टाइड लाइन (HTL) के करीब आबादी और व्यावसायिक गतिविधियों को नियंत्रित करना रहा है। इसके लिए लैंड यूज के आधार पर वर्गीकरण या संवेदनशीलता तय की जाती है ताकि क्षेत्र को बड़े नुकसान से बचाया जा सके।

लक्षद्वीप की अवस्थिति

- लक्षद्वीप न केवल अपने नैसर्गिक सौंदर्य के लिए, बल्कि सामुद्रिक जैव-विविधता के दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- लक्षद्वीप 36 द्वीपों का समूह है जो देश के दक्षिण-पश्चिम तट से करीब 440 किलोमीटर दूर अरब सागर में स्थित है। इस केंद्रशासित प्रदेश की राजधानी करवत्ती है।
- इसका कुल क्षेत्रफल 32.62 वर्ग किलोमीटर है। यहां पर करीब 65 हजार लोग रहते हैं। आमतौर पर यहां के लोग मलयालम और इंग्लिश बोलते हैं। इसके अलावा जेसेरी और धिवेही बोलियों का भी उपयोग किया जाता है।

10. हर्बिसाइड टॉलरेंट (HT) बीटी कॉटन

चर्चा का कारण

- हर्बिसाइड टॉलरेंट (एचटी) बीटी कपास (herbicide tolerant (HT) Bt cotton) की अवैध खेती में वर्ष 2021 में भारी उछाल देखा गया है। बीज निर्माताओं का दावा है कि अवैध बीज पैकेटों की बिक्री पिछले साल के 30 लाख से बढ़कर इस साल 75 लाख हो गई है। यह देखते हुए कि आनुवंशिक रूप से संशोधित कपास की खेती के गंभीर पर्यावरणीय और आर्थिक परिणाम हो सकते हैं, ऐसे में इनकी बिक्री चिंता का विषय हैं।

बीटी कॉटन क्या है?

- बीटी कपास (Bt cotton) एकमात्र ट्रांसजेनिक फसल है जिसे भारत में व्यावसायिक खेती के लिए केंद्र द्वारा अनुमोदित किया गया है।
- कपास के बोलवर्म का एक सामान्य कीट का मुकाबला करने के लिए कीटनाशक का उत्पादन करने के लिए इसे आनुवंशिक रूप से संशोधित किया गया है।

हर्बिसाइड टॉलरेंट बीटी (HTBt) कपास:

- HTBt कपास संस्करण संशोधन की एक और परत को जोड़ता है, जिससे पौधा हर्बिसाइड ग्लाइफोसेट (herbicide glyphosate)के लिए प्रतिरोधी बन जाता है, किन्तु नियामकों (regulators) द्वारा इसे अनुमोदित नहीं किया गया है।
- आशंकाओं में ग्लाइफोसेट का कार्सिनोजेनिक प्रभाव (carcinogenic effect) होता है, साथ ही परागण के माध्यम से आस-पास के पौधों में जड़ी-बूटियों के प्रतिरोध का अनियंत्रित प्रसार होता है, जिससे विभिन्न प्रकार के सुपरवीड (superweeds) बनते हैं।

किसानों द्वारा HTBt कपास को अपनाने के कारण

- बीटी कपास के लिए कम से कम दो राउंड निराई करने के लिए आवश्यक श्रम की कमी है। ऐसे में एचटीबीटी के साथ केवल निराई के बिना एक राउंड ग्लाइफोसेट छिड़काव कर सकते हैं। यह किसानों के लिए ₹7,000 से 8,000 प्रति एकड़ की बचत करता है।
- वर्ष 2020 में किसानों ने इसके प्रयोग से लाभ अर्जित किया है, इसलिए इस साल और भी अधिक इसे लगा रहे हैं।
- वैज्ञानिक भी इस फसल के पक्ष में हैं और यहां तक कि डब्ल्यूएचओ ने भी कहा है कि इससे कैंसर नहीं होता है। लेकिन सरकार ने अभी तक HTBt कपास को मंजूरी प्रदान नहीं की है।
- किसान कार्यकर्ता समूह भी किसानों को आनुवंशिक रूप से संशोधित बैंगन और सोयाबीन के बीज बोने के लिए प्रोत्साहित करता रहा है, जिनकी खेती के लिए भी सरकार द्वारा मंजूरी नहीं मिली है।

HTBt कपास की अवैध बिक्री से उत्पन्न मुद्दे

- प्रमुख कंपनियों के ब्रांड नाम का उपयोग करके कपास के अवैध बीज बिक्री करने से किसानों को खतरा है क्योंकि बीज की गुणवत्ता की कोई जवाबदेही नहीं है,साथ ही यह पर्यावरण को प्रदूषित करता है।
- बीज उद्योग वैध बीज बिक्री को खो रहा है साथ ही सरकार को कर संग्रह के मामले में राजस्व का भी नुकसान हो रहा है।
- विश्लेषकों के अनुसार यह न केवल छोटी कपास बीज कंपनियों को नष्ट कर देगा, बल्कि भारत में कानूनी रूप से संचालित कपास बीज बाजार को भी खतरे में डाल देगा।

11. स्टाईगारक्टस केरलेंसिस

चर्चा का कारण

- हाल ही में शोधकर्ताओं को जीनस स्टाईगारक्टस (genus Stygarctus) की एक नई टार्डिग्रेड प्रजाति केरल में मिली है, जिसका नाम उन्होंने केरल राज्य के नाम पर रखा है।

टार्डिग्रेड क्या है?

- टार्डिग्रेड इतने छोटे होते हैं कि इनका अध्ययन करने के लिए उच्च सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। आमतौर पर 'वाटर' बियर (water bears) और 'मॉस पिगलेट' (moss piglets) कहे जाने वाले ये जीव अपने छोटे आकार के बावजूद पृथ्वी पर सबसे कठोर जानवरों में से एक हैं।
- टार्डिग्रेड आठ पैरों वाला होता है और भालू की तरह दिखता है, इसके शरीर में चार खंड होते हैं। टार्डिग्रेड सामान्यतः तरल पदार्थ खाता है।
- टार्डिग्रेड पृथ्वी पर हर जगह पाए जाते हैं। ये पहाड़ की चोटी से लेकर गहरे समुद्र तक में पाये जाते हैं। वे बड़े पैमाने पर विलुप्त होने से बच गए हैं। वे कीड़े, मकड़ियों और क्रस्टेशियंस से भी संबंधित हैं।
- टार्डिग्रेड्स पर्यावरणीय तनाव से निपटने के लिए एक जिज्ञासु प्रक्रिया का उपयोग करते हैं जिसे 'क्रिप्टोबायोसिस' (cryptobiosis) कहा जाता है। कुछ टार्डीग्रेड प्रजातियां अत्यधिक तापमान, दबाव, विकिरण और निर्जलीकरण के बावजूद जीवित रह सकती हैं।

स्टाईगारक्टस केरलेंसिस

- शोधकर्ताओं के अनुसार स्टाईगारक्टस केरलेंसिस एक नई प्रजाति है। यह पहली टैक्सोनॉमिक रूप से वर्णित समुद्री टार्डिग्रेड है, जो नवीनतम खोज को महत्वपूर्ण बनाती है।
- स्टाईगारक्टस केरलेंसिस की खोज उत्तरी केरल के वडकारा से एक शोध दल ने की थी।
- स्टाईगारक्टस केरलेंसिस जीनस स्टाईगारक्टस के तहत नामित आठवीं प्रजाति है, जो 130 माइक्रोमीटर (0.13 मिमी) की लंबाई तक बढ़ती है।

12. हरित हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन

चर्चा का कारण

- हाल ही में भारत ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर 'हरित हाइड्रोजन पहल पर दो दिवसीय शिखर सम्मेलन' (Summit on Green Hydrogen Initiatives) की मेजबानी किया। यह प्रतिष्ठित कार्यक्रम अपनी ग्रीन हाइड्रोजन पहलों एवं विचारों को साझा करने के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करता है। यह शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स राष्ट्र शामिल होंगे।

मुख्य बिंदु

- यह प्रतिष्ठित कार्यक्रम अपनी ग्रीन हाइड्रोजन पहलों और विचारों को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है।
- इस ऑनलाइन कार्यक्रम की मेजबानी भारत के सबसे बड़े बिजली उत्पादक NTPC द्वारा की जाएगी।
- इस शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के सर्वश्रेष्ठ नीति निर्माता और प्रमुख हितधारक ऊर्जा मिश्रण में हाइड्रोजन के भविष्य पर विचार-विमर्श और चर्चा करेंगे।
- यह शिखर सम्मेलन समग्र ऊर्जा नीति ढांचे में हाइड्रोजन को एकीकृत करने वाले विचारों पर पैनल चर्चा का गवाह बनेगा।
- सम्मेलन के पहले दिन प्रत्येक राष्ट्र के प्रतिनिधि हाइड्रोजन के उपयोग और उनकी भविष्य की योजनाओं पर अपने देशों द्वारा की गई संबंधित पहलों को साझा करेंगे।
- कार्यक्रम में भाग लेने वाले वक्ता हाइड्रोजन पर विकसित विभिन्न तकनीकों की प्रासंगिकता तथा अपने देश के लिए इसकी प्राथमिकताओं को भी साझा करेंगे।

हाइड्रोजन के विभिन्न प्रकार

- हाइड्रोजन जो जीवाश्म ईंधन से उत्पन्न होता है उसे ग्रे हाइड्रोजन (grey hydrogen) कहा जाता है और जो कार्बन कैप्चर और भंडारण विकल्पों के साथ जीवाश्म ईंधन से उत्पन्न होता है उसे नीला हाइड्रोजन (blue hydrogen) कहा जाता है। दूसरी ओर, ग्रीन हाइड्रोजन (Green Hydrogen) पूरी तरह से अक्षय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त होता है।

ग्रीन हाइड्रोजन के लाभ

- जैसे-जैसे दुनिया तेजी से पूरी ऊर्जा प्रणाली को डीकार्बोनाइज करने की तरफ अग्रसर हो रही है, ऐसे में हाइड्रोजन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने तथा दुनिया भर में अक्षय संसाधनों के तेजी से पैमाने पर निर्माण करने के लिए तैयार है।
- अक्षय ऊर्जा का उपयोग करके इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा उत्पादित हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन के रूप में जाना जाता है जिसमें कार्बन का कोई अंश नहीं होता है।
- यह हाइड्रोजन के हरित उपयोग के विभिन्न रास्ते खोलने के लिए अन्य ईंधनों पर इसे प्रमुखता देने का अवसर प्रदान करता है।
- हालांकि प्रौद्योगिकी, दक्षता, वित्तीय व्यवहार्यता तथा स्केलिंग के मामले में तमाम चुनौतियां भी हैं, जिन पर शिखर सम्मेलन के दौरान विचार विमर्श होगा।

हरित हाइड्रोजन के अनुप्रयोग

- ग्रीन हाइड्रोजन के असंख्य अनुप्रयोग हैं। अमोनिया और मेथनॉल जैसे हरित रसायनों का उपयोग सीधे मौजूदा जरूरतों जैसे उर्वरक, गतिशीलता, बिजली, रसायन, शिपिंग आदि में किया जा सकता है। व्यापक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए सीजीडी नेटवर्क में 10 प्रतिशत तक ग्रीन हाइड्रोजन मिश्रण को अपनाया जा सकता है। हाइड्रोजन के माध्यम से हार्ड टू एबेट सेक्टरों (जैसे स्टील तथा सीमेंट) को हरा-भरा करके इसे और आगे ले जाने का पता लगाया जाना अभी शेष है। कई देशों ने अपने संसाधनों तथा ताकत के आधार पर अपनी रणनीति और परिभाषित लक्ष्य और रोडमैप तैयार किए हैं।
- ग्रीन हाइड्रोजन पर्यावरण के अनुकूल है क्योंकि इसके उपयोग से शून्य उत्सर्जन होता है। यह एक स्वच्छ जलने वाला अणु है जो लोहा और इस्पात, रसायन और परिवहन जैसे क्षेत्रों को डीकार्बोनाइज कर सकता है।

हरित हाइड्रोजनके बारे में

- अक्षय ऊर्जा का उपयोग करके 'विद्युत अपघटन' (electrolysis) द्वारा उत्पादित हाइड्रोजन को हरित हाइड्रोजन (Green Hydrogen) के रूप में जाना जाता है, जिसमें कार्बन का कोई अंश नहीं होता है।

13. ग्रेट बैरियर रीफ

चर्चा का कारण

- हाल ही में यूनेस्को की एक समिति ने ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ को ऐसी विश्व धरोहरों की सूची में रखने की सिफारिश की है जिन पर खतरा मंडरा रहा है।

मुख्य बिन्दु

- संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization-UNESCO) द्वारा गठित 'विश्व धरोहर समिति' ने इस सिलसिले में एक रिपोर्ट का मसौदा भी जारी किया है।
- यूनेस्को द्वारा गठित 'विश्व धरोहर समिति' के मुताबिक, ऑस्ट्रेलिया ने दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल-भित्ति प्रणाली (coral reef system) को जलवायु परिवर्तन के असर से बचाने के लिये पर्याप्त उपाय नहीं किये हैं।
- समिति ने अपने मसौदे में कहा है कि ग्रेट बैरियर रीफ को बचाने हेतु 'Reef 2050' नामक एक योजना की शुरूआत की गई थी, किन्तु यह अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो पाई है।
- रिपोर्ट के मसौदे के मुताबिक, ग्रेट बैरियर रीफ की मूँगा-चट्टानों को पिछले कुछ वर्षों में काफी क्षति पहुंची है।

- हालाँकि यूनेस्को द्वारा गठित 'विश्व धरोहर समिति' की रिपोर्ट की ऑस्ट्रेलिया ने आलोचना की है।
- ऑस्ट्रेलिया सरकार का कहना है कि ग्रेट बैरियर रीफ का बेहतरीन ढँग से प्रबन्धन हो रहा है।

ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में

- ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। यहाँ काफी अधिक समुद्री जैव विविधता पायी जाती है। ग्रेट बैरियर रीफ को वर्ष 1981 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था।

क्या है प्रवाल भित्ति?

- कोरल रीफ को प्रवाल भित्तियाँ या मूंगे की चट्टान के नाम से भी जाना जाता है। ये समुद्र के भीतर स्थित चट्टान हैं जो प्रवालों द्वारा छोड़े गए कैल्सियम कार्बोनेट से निर्मित होती हैं।
- कोरल रीफ प्राय: उष्णकटिबंधीय या उपोष्ण कटिबंधीय समुद्रों में मिलती हैं, जहाँ तापमान 20-30 डिग्री सेल्सियस रहता है।
- ये शैल-भित्तियाँ समुद्र तट से थोड़ी दूर हटकर पाई जाती हैं, जिससे इनके बीच छिछले लैगून बन जाते हैं।
- कोरल या प्रवाल उथले सागर में पाए जाते हैं और इनके विकास के लिये स्वच्छ एवं अवसादरहित जल आवश्यक है, क्योंकि अवसादों के कारण प्रवालों का मुख बंद हो जाता है और वे मर जाते हैं।
- प्रवाल या कोरल्स फोटोसिंथेटिक शैवाल के साथ पारस्परिक रूप से साथ में रहते हैं, जिसे जूजैन्थेला (zooxanthellae) कहा जाता है।
- कोरल (मूंगा)प्रवाल भित्तियों के लिए एक मजबूत कैल्शियम कार्बोनेट संरचना बनाते हैं और जूजैन्थेला के लिए सुरक्षा और एक घर प्रदान करते हैं। इसके बदले मे जूजैन्थेला मूंगा को पोषक तत्व प्रदान करते हैं।

यूनेस्को (UNESCO) के बारे में

- यूनेस्को का पूरा नाम संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization-UNESCO) है। यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति निर्माण के लिए प्रयासरत है। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर, 1945 को हुई थी तथा इसका मुख्यालय पेरिस में स्थित है।

14. इबोला (Ebola)

चर्चा का कारण

- हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डबल्यूएचओ) ने पश्चिम अफ्रीका में स्थित देश 'गिनी गणराज्य' में इसी वर्ष फरवरी में फैले इबोला प्रकोप (Ebola outbreak) को समाप्त घोषित किया है।

इबोला वायरस (Ebola Virus) क्या है?

- इबोला वायरस डिसीज (रोग) या ईवीडी, को इबोला हेमोरेजिक फीवर या रक्त स्रावी बुखार के नाम से भी जाना जाता है। यह मनुष्यों के लिए एक दुर्लभ किन्तु गंभीर जानलेवा बीमारी है।
- यह वायरस जानवरों से मनुष्यों में स्थानांतरित हुआ है, तथा मनुष्यों में एक दूसरे में संक्रमण के द्वारा फैला है।
- ऐसा माना जाता है कि यह "फ्रूट बैट" टेरोपोडीडेइ परिवार से संबन्धित है जो कि इबोला वायरस के प्राकृतिक संवाहक है। यह वायरस, संक्रमित जानवरों जैसे फ्रूट बैट, चिम्पांजी, गोरिल्ला, बंदर, जंगली हिरण, और साही आदि के मृत शरीर, रक्त, शारीरिक तरल के स्राव इत्यादि के संपर्क में आने के कारण मनुष्यों में फैलता है।
- वायरस परिवार फिलोवायरिडी या फिलोवायरस में तीन प्रजातियाँ पायी जाती हैं- क्यूववायरस, मारबर्ग वायरस एवं इबोला वायरस। जीनस इबोला वायरस के भीतर छह प्रकार की प्रजातियों की पहचान की गयी है- जायर, बुंदिबुग्यो, सूडान, ताओ फॉरेस्ट, रेस्टोन और बोमबली।

इबोला वायरस का इतिहास

- इबोला वायरस एक बेहद गंभीर बीमारी है जिसका इलाज ना होने पर यह जानलेवा भी हो सकता है।
- इबोला वायरस सर्वप्रथम 1976 में सामने आया था। इसका पहला मामला नजारा, दक्षिणी सूडान में तथा दूसरा मामला यमबुको, डीआरसी (डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो) में पाया गया था।
- इनमें से दूसरा मामला इबोला नदी के पास एक गाँव में मिला था जिसके कारण इस वायरस का नाम इबोला वायरस पड़ गया।
- 1976 से अभी तक का सबसे बड़ा प्रकोप 2014- 2016 के दौरान पश्चिमी अफ्रीका में देखने को मिला था। इसकी शुरुआत गिनी में हुयी थी जहां से यह सियारा लीओन तथा लाइबेरिया तक फेल गया।

इबोला का प्रसार

- इबोला का प्रसार मनुष्य के परस्पर सीधे संपर्क (कटी हुयी त्वचा या शरीर के स्राव के द्वारा) में आने से फैलता है इसमें-उस व्यक्ति जिसकी मृत्यु इबोला से हो गयी हो उसके रक्त या शारीरिक तरल के संपर्क में आने से या ऐसी वस्तुओं के संपर्क में आने से जिस पर संक्रमित व्यक्ति के रक्त, लार आदि से दूषित हो।

विश्व स्वास्थ्य संगठन

- 'विश्व स्वास्थ्य संगठन' (World Health Organization- WHO), संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष एजेंसी है। इसकी स्थापना वर्ष 1948 हुई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। आम तौर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन अपने सदस्य राष्ट्रों के स्वास्थ्य मंत्रालयों के सहयोग से कार्य करता है। भारत 12 जनवरी, 1948 को विश्व् स्वास्थ्य संगठन (डबल्यूएचओ) संविधान का पक्षकार बना था। कोविड-19 महामारी के निदान में भी भारत तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन सहयोगी के रूप में कार्य कर रहे हैं।

15. डेल्टा प्लस वैरिएंट

चर्चा का कारण

- हाल ही में भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने महाराष्ट्र, केरल और मध्य प्रदेश को कोविड-19 के चिंताजनक वैरिएंट (वीओसी) 'डेल्टा प्लस वैरिएंट' पर परामर्श दिया है।

मुख्य बिन्दु

- भारतीय सार्स कोव-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम (आईएनएसएसीओजी) के हाल के निष्कर्षो के आधार पर, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने महाराष्ट्र, केरल और मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में पाये गये कोविड-19 के डेल्टा प्लस वैरिएंट को लेकर इन राज्यों को अलर्ट किया और परामर्श जारी किया है।
- केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने इन राज्यों से कहा कि महाराष्ट्र के रत्नागिरि और जलगांव जिलों; केरल के पलक्कड़ और पथनमथित्ता जिलों; और मध्य प्रदेश के भोपाल व शिवपुरी जिलों से मिले नमूनों के जीनोम अनुक्रमण में यह वैरिएंट पाया गया है।
- उल्लेखनीय है कि भारत में अब तक डेल्टा प्लस वैरिएंट के 22 मामले सामने आए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 16 महाराष्ट्र के रत्नागिरी और जलगांव से हैं। वहीं केरल के पलक्कड़ और पथनमथिट्टा जिले तथा मध्य प्रदेश के भोपाल और शिवपुरी जिले में डेल्टा प्लस वैरिएंट के मामले सामने आए हैं।
- भारत में कोविड-19 की दूसरी लहर का जिम्मेदार डेल्टा वैरिएंट है। अगर देखा जाये तो अभी डेल्टा वैरिएंट दुनिया के 80 देशों में है। इसे वैरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में रखा गया है।

- वहीं डेल्टा प्लस वैरिएंट अभी 9 देशों; यथा- ब्रिटेन, अमेरिका, जापान, रूस, भारत, पुर्तगाल, स्विटजरलैंड, नेपाल और चीन में मिला है।
- भारत में विशेषज्ञों का कहना है कि डेल्टा प्लस वैरिएंट से देश में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है।

भारतीय सार्स कोव-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम (INSACOG)

- भारतीय सार्स कोव-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम (आईएनएसएसीओजी) 10 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं का एक समूह है, जिसे केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने 25 दिसंबर 2020 को गठित किया था।
- आईएनएसएसीओजी तभी से कोरोना वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग और कोविड-19 वायरस का विश्लेषण कर रहा है और इस प्रकार पाए जाने वाले वायरस के नए वैरिएंट तथा महामारी के साथ उनके संबंधों का पता लगा रहा है।
- उल्लेखनीय है कि विभिन्न वायरसों के वैरिएंट एक प्राकृतिक घटना है और यह लगभग सभी देशों में पाए जाते हैं।

❖❖❖

सप्ताह के चर्चित व्यक्ति

मिल्खा सिंह

केनेथ कौंडा

जस्टिस महमूद कमाल

लॉरेल हबर्ड

श्याम सुंदर ज्याणी

इब्राहिम रईसी

जमशेदजी टाटा

1. मिल्खा सिंह

- हाल ही में भारत के 'उड़न सिख' यानी फ्लाइंग सिख के नाम से विख्यात महान फर्राटा धावक मिल्खा सिंह का निधन हो गया।

उपलब्धि

- चार बार के एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता मिल्खा ने 1958 राष्ट्रमंडल खेलों में भी पीला तमगा हासिल किया था। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हालांकि 1960 के रोम ओलंपिक में था जिसमें वह 400 मीटर फाइनल में चौथे स्थान पर रहे थे। उन्होंने 1956 और 1964 ओलंपिक में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्हें 1959 में पद्मश्री से नवाजा गया था। उन्हें 'फ्लाईंग सिख' का खिताव तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री फील्ड मार्शल अयूब खान ने दिया था।

प्रारंभिक जीवन

- मिल्खा सिंह का जन्म अविभाजित भारत के पंजाब में एक सिख राठौर परिवार में 20 नवम्बर 1929 को हुआ था। अपने माँ-बाप की कुल 15 संतानों में वह एक थे। उनके कई भाई-बहन बाल्यकाल में ही गुजर गए थे। भारत के विभाजन के बाद हुए दंगों में मिलखा सिंह ने अपने माँ-बाप और भाई-बहन खो दिया। अंततः वे शरणार्थी बन के ट्रेन द्वारा पाकिस्तान से दिल्ली आए। कुछ समय शरणार्थी शिविरों में रहने के बाद वह दिल्ली के शाहदरा इलाके में एक पुनर्स्थापित बस्ती में भी रहे।

- ऐसे भयानक बचपन के बाद उन्होंने अपने जीवन में कुछ कर गुजरने की ठानी। एक होनहार धावक के तौर पर ख्याति प्राप्त करने के बाद उन्होंने 200मी और 400मी की दौड़े सफलतापूर्वक की और इस प्रकार भारत के अब तक के सफलतम धावक बने। कुछ समय के लिए वे 400मी के विश्व कीर्तिमान धारक भी रहे।

2. केनेथ कौंडा

- हाल ही में जांबिया के पहले राष्ट्रपति केनेथ कौंडा का 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। 1960 के दशक में आजादी के संघर्ष में अपने अहिंसक एक्टिविज्म के लिए 'अफ्रीका के गांधी' के रूप में इन्हे जाना जाता है।
- केनेथ डेविड कौंडा का जन्म 28 अप्रैल 1924 को तब के नॉर्दन रोडेशिया(आज जांबिया) और कांगो के बॉर्डर के पास के मिशन स्टेशन में हुआ था। उनके पिता स्कॉटलैंड मिशनरी चर्च के पादरी और शिक्षक थे। पिता की मृत्यु तभी हो गई जब कौंडा की उम्र बहुत कम थी लेकिन युवा कौंडा की एकेडमिक क्षमता ने उन्हें नॉर्दन रोडेशिया में बनने वाले पहले सेकेंडरी स्कूल में स्थान दिलाया और बाद में वे एक शिक्षक बन गए। अपने कार्यकाल के पहले ही साल कौंडा ने जांबिया के अंदर शिक्षा व्यवस्था को तेजी से फैलाना शुरू किया। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्राइमरी स्कूलों को स्थापित किया तथा हर बच्चे को किताब तथा खाना उपलब्ध कराया। उनकी सरकार ने नए विश्वविद्यालयों और मेडिकल स्कूलों की स्थापना की। कौंडा ने जांबिया के स्वास्थ्य तंत्र को मजबूत किया ताकि बहुसंख्यक अश्वेत जनसंख्या को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें।
- 2005 में जब वह भारत आए तब उन्होंने कहा था 'काश मैं पॉजिटिव टेस्ट हो जाता। इससे मुझे एड्स से जुड़े कलंक और अव्यवस्था से लड़ने में काफी मदद मिलती'। उन्होंने इससे लड़ने के लिए 'कौंडा चिल्ड्रन ऑफ अफ्रीका फाउंडेशन' बनाया, जिसके वह चेयरमैन थे। 78 वर्ष की उम्र में खुद का एड्स टेस्ट कराया ताकि जांबिया के दूसरे लोगों को भी ऐसा करने का प्रोत्साहन मिले। दरअसल वह पहले अफ्रीकी नेता थे जिन्होंने सार्वजनिक तौर पर यह स्वीकार किया कि उनके बेटे की मौत एड्स से जुड़े रोग के कारण हुई है।

3. जस्टिस महमूद जमाल

- भारतीय मूल के जज महमूद जमाल (Mahmud Jamal) को कनाडा के सुप्रीम कोर्ट में नामित किया गया है। वह देश के शीर्ष न्यायालय में नामित होने वाले पहले अश्वेत जज हो गये हैं।
- महमूद जमाल, जस्टिस रोसेली अबेला का स्थान लेंगे जो नौ सदस्यीय कोर्ट के सबसे लंबे समय तक काम करने वाले जज रहे हैं। जस्टिस अबेला 1 जुलाई को रिटायर होंगे।
- जमाल अब एडमोंटन में रहते हैं। यहीं से उन्होंने हाई स्कूल की पढ़ाई की। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो से बीए की डिग्री ली। वो मैकगिल यूनिवर्सिटी से लॉ में ग्रेजुएट्स हैं। जमाल ने येल यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ लॉ किया है। उन्होंने क्यूबेक की अदालत में

एक लॉ क्लर्क के रूप में भी काम किया है।

- न्यायमूर्ति जमाल का जन्म केन्या में हुआ था। उनका परिवार मूल रूप से भारतवंशी है। उनका परिवार 1981 में कनाडा आया था और यहीं बस गया था।
- जमाल अब एडमोंटन में रहते हैं और यहीं से उन्होंने हाई स्कूल की पढ़ाई की है। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो से बीए की पढ़ाई की है। उन्होंने कानून की स्नातक की पढ़ाई मैकगिल यूनिवर्सिटी से की है। जमाल ने येल यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ लॉ किया है। उन्होंने क्यूबेक की अदालत में एक लॉ क्लर्क के रूप में भी काम किया है।
- गौरतलब है कि कनाडा बहुसांस्कृतिक देश है और पिछली जनगणना में यहां की करीब 3.8 करोड़ की आबादी का एक चौथाई हिस्सा अल्पसंख्यक समूह के सदस्य के रूप में पहचाना गया है।

4. लॉरेल हबर्ड

- लॉरेल हबर्ड 185 किलोग्राम का वजन उठाकर तोक्यो खेलों के लिए महिला सुपर-हैवीवेट वर्ग के लिए टिकट पक्का कर ओलिंपिक के लिए क्वालीफाई करने वाली पहली ट्रांसजेंडर (पुरूष से महिला बनीं) खिलाड़ी बन गई। हबर्ड उन पांच भारोत्तोलकों में शामिल हैं, जिन्हें तोक्यो के लिए चुनी गई न्यूजीलैंड की टीम में शामिल किया गया। वह 43 साल की उम्र में इन खेलों में सबसे उम्रदराज भारोत्तोलक भी होंगी।

लॉरेल हबर्ड

- हबर्ड न्यूजीलैंड की भारोत्तोलक हैं जिन्हें 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा करने के लिए चुना गया है। वह लिंग परिवर्तन के बाद ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट होंगी। अपने लिंग परिवर्तन से पहले, हबर्ड ने 1998 में नव स्थापित M105+ डिवीजन में 135 किग्रा, क्लीन एंड जर्क 170 किग्रा के साथ न्यूजीलैंड जूनियर रिकॉर्ड बनाया था। हालांकि, बाद में इन रिकॉर्ड्स को डेविड लिटि ने पीछे छोड़ दिया। बाद में हबर्ड ने महिला में परिवर्तन किया और 2012 में लॉरेल हबर्ड बन गई। उन्होंने 2017 विश्व चौंपियनशिप में रजत पदक और समोआ में 2019 प्रशांत खेलों में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में भी भाग लिया।

- विदित हो कि 2018 में गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान महिला वर्ग में लॉरेन के खेलने को लेकर ऑस्ट्रेलिया वेटलिफ्टिंग फेडरेशन ने विरोध किया था और बैन लगाने की मांग की थी। हालांकि आयोजन समिति ने इसे नकार दिया था। बाद में लॉरेन चोट की वजह टूर्नामेंट से हट गई थीं।

5. श्याम सुंदर ज्याणी

- पर्यावरण संरक्षण और भूमि संरक्षण को लेकर काम करने वाली United Nations Convention To Combat Desertification की तरफ से दिए जाने वाले अंतराष्ट्रीय पुरस्कार Land For Life Award के लिए बीकानेर के श्याम सुंदर ज्याणी (Shyam Sundar Jyani) का चयन हुआ है। श्याम सुंदर क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं और बीकानेर की राजकीय डूंगर कॉलेज में समाजशास्त्र के प्रोफेसर हैं।
- 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखारोधी दिवस के मौके पर UNCCD ने दुनियाभर के 12 फाइनलिस्ट में से श्याम सुंदर ज्याणी के नाम का चयन किया। अंतराष्ट्रीय पुरस्कार Land For Life Award हर 2 साल में दिया जाता है। इस बार दुनियाभर से 12 लोगों में भारत के दो लोगों का चयन किया गया था। ईशा फाउंडेशन के सद्गुरु जग्गी वासुदेव का नाम भी फाइनलिस्ट की सूची में था।
- श्री गंगानगर जिले की रायसिंहनगर तहसील के गांव 12 टी. के. के मूल निवासी व वर्तमान में बीकानेर के राजकीय डूंगर कॉलेज में समाजशास्त्र के एसोसिएट प्रोफेसर श्यामसुंदर ज्याणी (Shyam Sundar Jyani) पिछले दो दशक से पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थल में पेड़ को परिवार का हिस्सा बनाकर जमीनी स्तर पर सकारात्मक बदलाव लाने में कामयाब हुए हैं।
- यू एन सी सी डी ने ज्याणी की पारिवारिक वानिकी अवधारणा को वनीकरण का अनूठा विचार बताते हुए इसे पारिस्थितीकी अनुकूल सभ्यता के विकास के एक प्रभावी तरीके के तौर पर उल्लेखित किया है और लिखा है कि 15000 से अधिक गांवों के दस लाख से ज्यादा परिवारों को जोड़ते हुए ज्याणी द्वारा 25 लाख वृक्षारोपण करवाया जा चुका है। उल्लेखनीय है कि ज्याणी के लगाए जंगल आज फेफड़ों का काम कर रहे हैं। राजकीय डूंगर कॉलेज परिसर में ही ज्याणी ने 6 हैक्टेयर भूमि पर 3000 पेड़ों का एक जंगल खड़ा कर दिया है जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित पैनल के फार्मूले के अनुसार गणना करने पर आज की तारीख में 1 अरब 8 करोड़ रुपए मूल्य की ऑक्सीजन उत्पन्न कर रहा है।

6. इब्राहिम रईसी

- हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति चुनाव में इब्राहिम रईसी की जीत हुई। इब्राहिम रईसी की इस जीत ने इजराइल और कई दूसरे देशों के साथ ही देश के भीतर भी लोगों के मन में चिंताएं बढ़ा दी है।
- विदित हो कि इजरायल रईसी को ईरान का सबसे कट्टर राष्ट्रपति कह रहा है और लगातार न्यूक्लियर हमले जैसे भयंकर खतरे को लेकर आगाह कर रहा है। वैसे रईसी को 1988 का 'तेहरान का जल्लाद' भी कहा जाता रहा, जिसने अपने खिलाफ खड़े हजारों लोगों को मौत दे दी थी।
- विदित हो कि खुद को कट्टर शिया और ईरान में धर्म का रखवाला बताने वाले रईसी ने कम उम्र में ही अहम राजनैतिक ओहदे पाने शुरू कर दिए। कहा जाता है कि वो उस कमीशन के प्रमुख सदस्य थे, जिसके एक फैसले में तेहरान में नरसंहार मचा दिया। तब रईसी की उम्र महज 20 साल थी। वे तेहरान के वेस्ट में करज की कोर्ट के प्रोसिक्यूटर हुआ करते थे। जल्द ही उनका प्रमोशन तेहरान हो गया। वहां वो उस सीक्रेट ट्रिब्यूनल का हिस्सा बन गए, जिसे डेथ कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। इस बात का जिक्र बीबीसी की एक रिपोर्ट में मिलता है।

अमेरिका लगा चुका है आने पर पाबंदी

- बाद में रईसी ने इस तरह के किसी आरोप से इनकार किया था, लेकिन बहुत सी मानवाधिकार संस्थाओं के बोलने और उस दौर में जुल्मों से बचकर निकल आए लोगों की बात मानते हुए अमेरिका ने भी इस ईरानी नेता पर काफी सारी पाबंदियां लगा दीं। उनपर ह्यूमन राइट्स के उल्लंघन का भी आरोप लगा। बता दें कि इजरायल और ईरान में हमेशा से ही तनाव चला आ रहा था, जिसमें बीते दो सालों में और तेजी आई है। ईरान और इजरायल दोनों ही एक दूसरे पर खुफिया हमलों का आरोप लगाते रहे। अब इजरायल की चिंता ये भी है कि ईरान नए राष्ट्रपति के साथ कहीं परमाणु-शक्ति संपन्न न हो जाए। विदित हो कि कि ईरान अब भी

परमाणु बम बनाने की क्षमता हासिल नहीं कर पाया है क्योंकि इजरायल लगातार इसमें रोड़े अटकाता रहा है।
- अब कट्टरपंथी रईसी के आने के साथ, न केवल इजरायल, बल्कि पूरी दुनिया का संतुलन गड़बड़ा सकता है। यही कारण है कि ह्यूमन राइट्स पर काम करने वाली बहुतेरी संस्थाएं अब भी ईरान में चुनाव में घपलेबाजी की बात करते हुए राष्ट्रपति बन चुके रईसी के नरसंहार कांड की जांच कराने की मांग उठा रही हैं।

7. जमशेदजी टाटा

- हुरुन रिसर्च (Hurun Research) पोर्ट और एडेलगिव फाउंडेशन (EdelGive Foundation) की ओर से तैयार की गई दान करने वाले टॉप-50 लोगों की सूची में जमशेदजी टाटा सबसे ऊपर हैं। जमशेदजी टाटा पिछले 100 साल में 102 अरब डॉलर का दान देकर दुनिया के सबसे बड़े परोपकारी के तौर पर उभरे हैं।
- दुनिया के शीर्ष दानवीरों की सूची में दिखाया गया है कि टाटा ऐसे समूह के संस्थापक हैं, जो नमक से लेकर सॉफ्टवेयर तक बनाता है। वह 74.6 अरब डॉलर दान करने वाले बिल गेट्स और उनकी अलग हो चुकीं पत्नी मेलिंडा जैसे कई दानवीरों से आगे हैं। गेट्स दंपति के अलावा वॉरेन बफेट ने अब तक 37.4 अरब डॉलर, जॉर्ज सोरोस ने 34.8 अरब डॉलर और जॉन डी रॉकफेलर ने 26.8 अरब डॉलर का दान दिया है। हुरुन के अध्यक्ष और मुख्य शोधकर्ता रूपर्ट हुगवेरफ ने कहा कि भारत के टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा दुनिया के सबसे बड़े परोपकारी हैं। उन्होंने कहा कि जमशेदजी ने अपनी दो तिहाई संपत्ति ट्रस्ट को दे दी, जो शिक्षा और स्वास्थ्य समेत कई क्षेत्रों में काम कर रहा है। जमशेदजी टाटा ने 1892 से ही दान देना शुरू कर दिया था।
- हुरुन रिपोर्ट और एडेलगिव फाउंडेशन की इस सूची में दूसरे भारतीय विप्रो (Wipro) के अजीम प्रेमजी (Azim Premji) हैं। उन्होंने परोपकारी कामों के लिए लगभग 22 अरब डॉलर की अपनी पूरी संपत्ति दान दी है। हुगवेरफ ने कहा कि अल्फ्रेड नोबेल जैसे

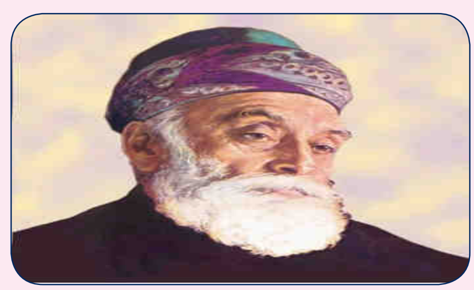

कुछ नाम हैं, जो पिछली सदी के शीर्ष-50 दानदाताओं की सूची में भी नहीं हैं। सूची में 39 लोग अमेरिका से हैं। इसके बाद ब्रिटेन (UK) से 5 और चीन (China) से 3 लोग शामिल हैं। इसमें कुल 37 दानदाताओं का निधन हो चुका है। वहीं, सूची में से केवल 13 लोग ही जिंदा हैं। हुगवेरफ ने ये भी कहा कि आज के अरबपति जितना दान करते हैं, उससे कहीं ज्यादा तेजी से कमाई कर रहे हैं।

सप्ताह के चर्चित स्थान

केरल में सिल्वरलाइन परियोजना

अदन की खाड़ी में भारत-ईयू संयुक्त नौसैनिक युद्धाभ्यास

बोत्सवाना में मिला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा

जोरहाट में पहला अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस

राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व रामगढ़ अभयारण्य

मानस राष्ट्रीय उद्यान

कोलंबिया दुनिया की सबसे बड़ी तितलियों का घर है

1. केरल में सिल्वरलाइन परियोजना

- केरल सरकार ने हाल ही में सिल्वरलाइन परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण शुरू करने की मंजूरी दी है, जो एक सेमी हाई स्पीड रेलवे परियोजना है। 63,940 करोड़ रुपये की लागत से प्रस्तावित इस परियोजना का उद्देश्य केरल के उत्तरी और दक्षिणी हिस्से को रेल से जोड़ना और यात्रा के समय को कम करना है। यह राज्य में हाल के समय की सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में से एक है।

सिल्वर प्रोजेक्ट के उद्देश्य

- इस परियोजना का उद्देश्य राज्य के उत्तरी एवं दक्षिणी स्थित छोर के बीच यात्रा के समय को कम करना है। वर्तमान में यह दूरी रेलवे से तय करने में 12 घंटे का समय लगता है। 2025 तक इस सिल्वर प्रोजेक्ट परियोजना के पूरा हो जाने पर दक्षिणी और उत्तरी छोर के बीच की दूरी तय करने में 200 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4 घंटे से भी कम समय लगेगा।
- केरल में मौजूदा रेलवे लाइन भविष्य की जरूरतों को पूरा करने में अक्षम है इसलिए इस प्रोजेक्ट को लाने की जरूरत पड़ी। मौजूदा रेलवे लाइन काफी मुड़ी हुई है जिसके कारण ज्यादा ट्रेनों की औसतन चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है इसी वजह से यात्रा में अधिक समय लगता है लेकिन इस परियोजना के तहत जो टेढ़ी-मेढ़ी मुड़ी हुई रेलवे लाइन होगी उसको हटाकर सीधी रेलवे लाइन

बनाई जाएगी जिससे समय की बचत होगी और वाहन अधिक स्पीड से चल पाएंगे। इस नवनिर्मित केरल सिल्वर प्रोजेक्ट द्वारा निर्मित रेलवे लाइन पर 11 स्टेशन पड़ेगी। इस परियोजना का क्रियान्वयन केरल रेल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है।

2. अदन की खाड़ी में भारत-ईयू संयुक्त नौसैनिक युद्धाभ्यास

- 18-19 जून 2021 को यूरोपीय संघ और भारत ने अदन की खाड़ी में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना के साथ-साथ अन्य नौसैनिक बल इटली, स्पेन और फ्रांस से हैं। नौसैनिक अभ्यास में उन्नत वायु रक्षा और पनडुब्बी रोधी अभ्यास, सामरिक युद्धाभ्यास, खोज और बचाव तथा अन्य समुद्री सुरक्षा अभियान शामिल थे।
- इस युद्ध अभ्यास का मकसद प्रमुख जलमार्गों में परिचालन संबंधी अंतर-क्षमता में सुधार और शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देना है। यह अभ्यास एक एंटी-पायरेसी ऑपरेशन के परिदृश्य पर आधारित था। इसमें क्रॉस-डेक हेलीकॉप्टर लैंडिंग, समुद्र में जटिल सामरिक विकास, लाइव फायरिंग, रात के समय संयुक्त गश्त और सोमालिया के तट से दूर समुद्र में एक नौसैनिक परेड शामिल थी।
- विदित हो कि यूरोपीय संघ और भारत संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का उद्देश्य समुद्र में अपने अभियान संबंधी सहयोग को मजबूत बनाना और संचार के समुद्री क्षेत्रों की रक्षा करना है। वे आपसी समन्वय के माध्यम से हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री क्षेत्र जागरूकता को बढ़ावा देने का भी इरादा रखते हैं।
- अदन की खाड़ी अरब सागर मे, यमन और सोमालिया के मध्य स्थित है। लाल सागर और अदन की खाड़ी को केवल 20 किलोमीटर चौड़ा बाब अल-मन्देब जलडमरूमध्य आपस में जोड़ता है।

- यह जलमार्ग उस स्वेज नहर जलयान मार्ग का एक महत्त्वपूर्ण भाग है, जो भूमध्य सागर को अरब सागर के द्वारा हिन्द महासागर से जोड़ता है और इस खाड़ी को प्रति वर्ष लगभग 21,000 जलयान पार करते हैं। इस खाड़ी में समुद्री डाकुओं द्वारा बड़े पैमाने पर की जा रहीं गतिविधियों के चलते इसे 'जलदस्यु मार्ग' भी कहते हैं।

3. बोत्सवाना में मिला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा

- अफ्रीकी देश बोत्सवाना (Botswana) में एक नायब हीरा मिला है, जिसे दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा कहा जा रहा है। हीरे की खोज करने वाली कंपनी देबस्वाकना (Debswana) ने बताया कि यह हीरा 1,098 कैरेट का है। इससे पहले वर्ष 1905 में दक्षिण अफ्रीका में दुनिया का सबसे बड़ा हीरा मिला था। यह करीब 3,106 कैरेट का था। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा टेनिस के बॉल के आकार का था और इसे वर्ष 2015 में पूर्वोत्तदर बोत्सवाना में बरामद किया गया था। इसका नाम लेसेदी ला रोना है।

- विदित हो कि बोत्सवाना सरकार की 80 फीसदी आमदनी देबस्वाना के मुनाफे, रॉयल्टी और टैक्सों के जरिए होती है। कोरोना महामारी संकट ने 2020 में हीरा उत्पाद और बिक्री पर बुरा असर डाला।
- बोत्सवाना गणराज्य, अफ्रीकी महाद्वीप के दक्षिण में स्थित एक स्थल-रुद्ध देश है। 30 सितम्बर 1960 को ब्रिटेन की यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्रता मिलने से पूर्व इसे बेचुआनालैंड के नाम से जाना जाता था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अंतर्गत इस देश ने एक नया नाम बोत्सवाना अपना लिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यहाँ लगातार स्वतंत्र और निष्पक्ष लोकतांत्रिक चुनाव आयोजित किये जा रहे हैं। भौगोलिक दृष्टि से बोत्सवाना एक सपाट देश है और इसके लगभग 70% भाग में कालाहारी मरुस्थल फैला है। इसके दक्षिण और दक्षिण ापश्चिम में दक्षिण अफ्रीका, पश्चिम और उत्तर में नामीबिया तथा उत्तरपूर्व में जिम्बाब्वे

स्थित है। यह सिर्फ एक बिंदु पर जाम्बिया से मिलता है।

4. जोरहाट में पहला अंतर्राष्ट्रीय चाव दिवस

- पूर्वी असम के जोरहाट में एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आयोजित पहली अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस विशेष नीलामी ने रिकॉर्ड कीमतें हासिल कीं।
- नीलामकर्ताओं ने कहा कि पूर्वी असम में कम से कम एक दर्जन विशिष्ट चाय बागानों के प्रस्तावों पर कुल चाय का 93% से अधिक असम, दिल्ली गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के खरीदारों को बेचा गया था।
- विदित हो कि चाय बोर्ड के एक विशेष प्रयास के तहत, चाय की पत्तियों की तुड़ाई अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस पर की जाती है और इसके बाद जून में इन चायों की विशेष नीलामी की जाती है।
- विदित हो कि पिछला रिकॉर्ड भी इसी चाय के नाम था। तब यह चाय 50 हजार रुपये प्रति किलो की कीमत पर बिकी थी। बीते साल 13 अगस्त को असम की एक और खास चाय ने रिकॉर्ड बनाया था। डिकोम टी एस्टेट की गोल्डन बटरफ्लाई चाय को जीटीएसी में 75 हजार रुपये प्रति किलो की कीमत पर बेचा गया था।
- जोरहाट भारत के असम राज्य के जोरहाट जिले में भोगदोई नदी के किनारे बसा हुआ एक महत्वपूर्ण शहर है। जोरहाट की स्थापना 18 वीं सदी के अन्तिम दशक में हुई थी। यहां पर चौकीहाट और माचरहाट नाम के दो बाजार हैं। इसी कारण इसका नाम जोरहाट

रखा गया है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में यह नगर स्वतंत्र अहोम राज्य की राजधानी था; जोरहाट में ताई भाषा बोलने वाले अहोम लोगों ने लगभग पहली शताब्दी में चीन के युन्नान क्षेत्र से देशांतरण किया था।

5. राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व रामगढ़ अभयारण्य

- हाल ही में बूंदी जिले की रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ संेचुरी को राजस्थान प्रदेश के चौथे टाइगर रिजर्व के तौर पर एनटीसीए ने मंजूरी दे दी है। यह अभयारण्य देश का 52वां टाइगर रिजर्व होगा।
- बूँदी-नैनवा मार्ग पर बूँदी से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य बूँदी के प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों में से एक है। 252 वर्ग किमी के क्षेत्र को कवर करते हुए यह अभ्यारण्य मुख्य रूप से पहाड़ी और शुष्क पर्णपाती जंगलों से भरा है। जिसमे जंगली चिंकारा, जंगली सूअर, तेंदुआ, सांभर, भारतीय भेड़िया, सियार, लोमड़ी, हायना और स्लोथ भालू और बिभिन्न जानवरों की एक विशाल विविधता पाई जाती है जो पर्यटकों के लिए आकर्षण के केंद्र बने हुए है। आपको बता दे रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य को रणथंभौर नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है जिसे 1982 में स्थापित किया गया था।
- विदित है कि भारत का राष्ट्रीय पशु, बाघ के संरक्षण के लिये प्रोजेक्ट टाइगर को 1973 में लॉन्च किया गया था। यहाँ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक केंद्र-प्रायोजित योजना है। वर्तमान में, 51 बाघ अभयारण्य, प्रोजेक्ट टाइगर के दायरे में आते

हैं, यह परियोजना टाइगर रेंज वाले 18 राज्यों में विस्तारित है, जो हमारे देश के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 2.21% है।

6. मानस राष्ट्रीय उद्यान

- असम के मानस राष्ट्रीय उद्यान (Manas National Park) में बाघों (की संख्या पिछले साल के 30 से बढ़कर 2021 में 46 हो गयी है।
- मानस नेशनल पार्क असम का एक प्रसिद्ध पार्क है। इसे यूनेस्को नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट के साथ-साथ प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व, बायोस्फियर रिजर्व और एलिफेंट रिजर्व घोषित किया गया है। यह हिमालय के फुट्हिल पर स्थित है और भूटान तक फैला हुआ है, जहां इसे रॉयल मानस नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। यह पार्क बालों वाले खरगोश, असम के छतरी वाले कछुए, नाटे कद वाले सुअर और सुनहरे लंगूर सहित कई लुप्तप्राय: जानवरों का घर है। यहां जंगली पानी की भैंस भी बड़ी संख्या में पाई जाती है। इस पार्क में स्तनपाई की 55, पक्षी की 380, सरीसृप की 50 और उभयचर की 3 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती है।
- मानस बायो रिजर्व का 1973 में निर्माण किया गया था। वन्य अभ्यारण बनने से पहले ये केवल एक आरक्षित वन के नाम से जाना जाता था। जिसका इस्तेमाल कूच बिहार शाही परिवार और गौरीपुर के राजाओं के द्वारा अपने शिकार के लिए किया जाता था। मानस पार्क को दिसंबर महीना के 1985 ईयर में यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया था।

7. कोलंबिया दुनिया की सबसे बड़ी तितलियों का घर है

- प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय द्वारा हाल ही में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, कोलंबिया दुनिया की सबसे अधिक तितलियों का घर है।
- वैज्ञानिकों की एक अंतरराष्ट्रीय टीम ने "कोलम्बियाई तितलियों की चेकलिस्ट" शीर्षक से एक दस्तावेज तैयार किया। जिसके अनुसार 200 से अधिक तितली प्रजातियां केवल कोलंबिया में पाई जाती हैं।
- कोलंबिया में तितलियों की 1600 प्रजातियां हैं, इसलिए वे निरीक्षण करने के लिए बेहद सामान्य हैं। लेकिन सबसे खास प्रजातियों में से एक है liaethria phlogea, जिसे तितली 89'98 के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इसके पंखों पर एक पैटर्न होता है जो इस संख्या को चित्रित करता है।
- तितली का जीवनकाल बहुत छोटा होता है। ये ठोस भोजन नहीं खातीं, हालाँकि कुछ तितलियाँ फूलों का रस पीती हैं। दुनिया की सबसे तेज उड़ने वाली तितली मोनार्च है। यह एक घंटे में 17 मील की दूरी तय कर लेती है। कोस्टारीका में तितलियों की 1300 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। दुनिया की सबसे बड़ी तितली जायंट बर्डविंग है, जो सोलमन आईलैंड्स पर पाई जाती है। इस मादा तितली के पंखों का फैलाव 12 इंच से ज्यादा होता है।
- कोलम्बिया दक्षिणी अमरीका महाद्वीप के उत्तर-पश्चिम में स्थित एक देश है। देश की राजधानी बोगोटा है। कोलम्बिया के पूर्व में वेनेजुएला और ब्राजील, दक्षिण में इक्वेडोर और पेरू, उत्तर में केरेबियन सागर, उत्तर पश्चिम में पनामा और पश्चिम में प्रशांत महासागर स्थित है। क्षेत्रफल के हिसाब से कोलंबिया दुनिया का 26वां और दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का चौथा बड़ा देश है।

❖❖❖

सप्ताह के प्रमुख राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय दिवस

जूनेथीन उत्सव

ग्रीष्म संक्रांति

विश्व संगीत दिवस

अंतराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस

अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस

संयुक्त राष्ट्र सार्वजनिक सेवा दिवस

अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस

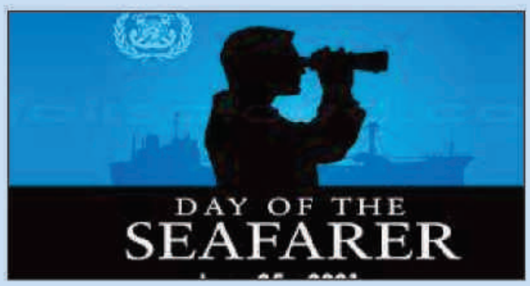

1. जूनेथीन उत्सव

- हाल ही में अमेरिका ने 'जूनेचीन' (19 जून) को संघीय अवकाश घोषित किया है। राष्ट्रपति जो बिडेन ने जूनेथीन उत्सव के दौरान 94 साल की बूढ़ी महिला का स्वागत अपने घुटनों पर बैठकर किया। दरअसल जूनेथीन गुलामी के अंत के रूप में मनाया जाता है।
- जूनेथीन मुक्ति दिवस के रूप में भी जाना जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में एक छुट्टी है जो 1865 में टेक्सास में अमेरिकी राज्य में गुलामी के उन्मूलन की घोषणा करता है, और आम तौर पर अफ्रीकी-अमेरिकी की मुक्ति संयुक्त राज्य भर में नागरिकों 19 जून को मनाया जाता है, यह शब्द जून और उन्नीसवीं का एक पोर्टमांटे है, और इसे राज्य अवकाश या ज्यादातर राज्यों में विशेष दिन मनाया जाता है।
- जानकारी के मुताबिक साल 1939 में जब ओपल 13 साल की थी। जूनेथीन के दिन कुछ गोरे लोगों के झुंड ने उनके घर पर छापा मारा और पूरा घर जला दिया था। जिसके बाद ली ने साल 2016 में वाशिंगटन में जूनेथीन के लिए लोगों में जागरूकता और समर्थन बढ़ाना शुरू किया। जूनेथीन जिसे अक्सर स्वतंत्रता दिवस या मुक्ति दिवस के रूप में जाना जाता है क्योंकि इस दिन गुलाम अफ्रीकी अमेरिकियों को अंतिम संघीय क्षेत्र में मुक्ति मिली थी।
- ये दिन 1865 में अमेरिकी गृह युद्ध (American Civil War) के खत्म होने के बाद दासता (Slavery) के अंत के तौर पर मनाया जाता है।

2. ग्रीष्म संक्रांति

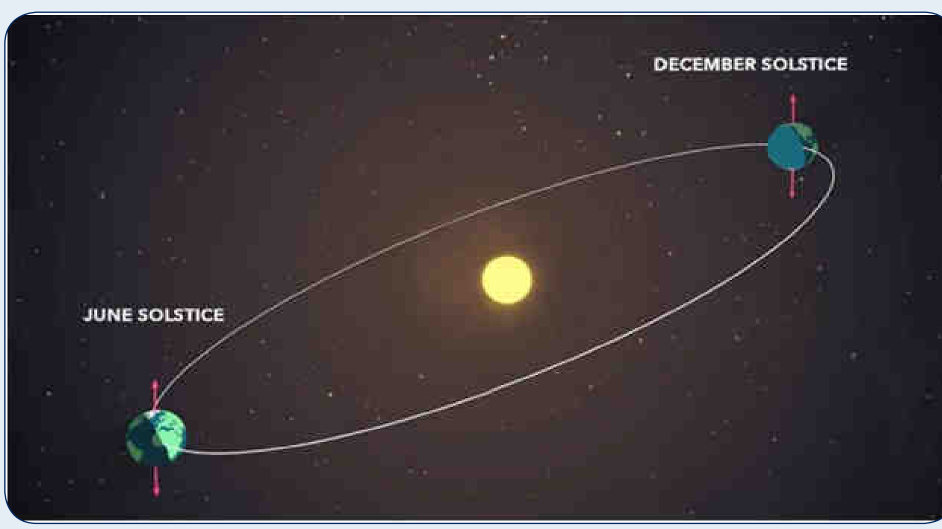

- हाल ही में 21 जून को ग्रीष्म संक्रांति दिवस मनाया गया

ग्रीष्म संक्रांति क्या है?

- ग्रीष्म संक्रांति वर्ष का सबसे लंबा दिन और सबसे छोटा दिन है क्योंकि इस समय उत्तरी ध्रुव सूर्य के सबसे निकट झुका हुआ होता है। ग्रीष्म संक्रांति वह दिन भी है जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर पहुंच जाता है, जिसके कारण दिन का उजाला सामान्य से अधिक समय तक रहता है।

ग्रीष्म संक्रांति का महत्व क्या है?

- संक्रांति, का शाब्दिक अर्थ है 'जब सूर्य स्थिर रहता है', क्योंकि सूर्य इतने लंबे समय के लिए है कि यह पृथ्वी की कक्षा की गति के बावजूद, स्थिर प्रतीत होता है। ग्रीष्म संक्रांति का महत्व, हालांकि छुट्टियों, त्योहारों और अनुष्ठानों से भिन्न होता है, हालांकि, दिन में महत्व जोड़ने का नवीनतम क्षण 'अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस' रहा है। इस दिन को संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2015 में नामित किया गया था और तब से इसे ग्रीष्मकालीन संक्रांति के दिन मनाया जाता है। पूर्वी एशियाई देशों में, ड्रैगन बोट फेस्टिवल को चिह्नित करने के लिए दिन मनाया जाता है, जबकि कनाडा में देश की मूल आबादी के योगदान को स्वीकार करने के लिए इसे राष्ट्रीय आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है।
- विदित हो कि ग्रीष्म और शीतकालीन संक्रांति उत्तरी गोलार्ध में, जहां यह दिन के उजाले के मामले में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है, जून संक्रांति को ग्रीष्म संक्रांति भी कहा जाता है। दूसरी ओर, दक्षिणी गोलार्ध में, यह वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है और इसे शीतकालीन संक्रांति के रूप में जाना जाता है।

3. विश्व संगीत दिवस

- 21 जून को विश्व संगीत दिवस मनाया गया। विश्व संगीत दिवस मनाने की शुरुआत साल 1982 में फ्रांस में हुई थी और इसका श्रेय तत्कालीन सांस्कृतिक मंत्री जैक लैंग को दिया जाता है। फ्रांस के लोगों की संगीत के प्रति दीवानगी को देखते हुए उन्होंने इस दिवस की घोषणा की थी। इस दिन को फेटे डी ला म्यूजिक (Fete de la Musique) के नाम से भी जाना जाता है।

संगीत का महत्व क्या है?

- विशेषज्ञ कहते हैं कि मानसिक शांति के लिए संगीत बहुत ही महत्वपूर्ण है। भागदौड़ भरी जिंदगी में यह हमें सुकून पहुंचाता है और यह अकेलेपन का साथी भी है। जब भी आप खुद को अकेले महसूस करें, तो संगीत सुनकर उस अकेलेपन को दूर कर सकते हैं। कुल मिलाकर यह खुश रहने का एक बेहतरीन फॉर्मूला है।

क्या होता है संगीत दिवस पर?

- इस खास दिवस पर दुनियाभर के संगीत कलाकार विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं और इस दौरान गाना गाने या परफॉर्म करने के पैसे भी नहीं लेते। दुनियाभर में इस दिन संगीत कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

हालांकि इस समय पूरी दुनिया में कोरोना का संकट छाया हुआ है, ऐसे में कलाकार सोशल मीडिया के जरिये विशेष प्रस्तुति दे सकते हैं।

4. अंतराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस

- इंटरनेशनल ओलंपिक दिवस, खेल और फिटनेस को समर्पित एक दिन है जिसे हर साल 23 जून को मनाया जाता है। इंटरनेशनल ओलंपिक दिवस 2021 की थीम '2021- स्वस्थ रहें, मजबूत रहें,' है।

इंटरनेशनल ओलंपिक डे का इतिहास

- इंटरनेशनल ओलंपिक दिवस पहली बार 1947 में मनाया गया था। उस वर्ष स्टॉकहोम में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 41वें सत्र में, आईओसी सदस्य डॉ जोसेफ ग्रस ने विश्व ओलंपिक दिवस की अवधारणा का प्रस्ताव रखा था। उनका कहना था एक दिन ऐसा होना चाहिए जो ओलंपिक के बारे में जानकारी देता हो। स्विट्जरलैंड में 42वें IOC सत्र में डॉ. ग्रस के विचार को मंजूरी दी गई। उसी दिन पेरिस, 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) का गठन किया गया था और 23 जून को इसके ऐतिहासिक महत्व के कारण इंटरनेशनल ओलंपिक दिवस के रूप में चुना गया।

इंटरनेशनल ओलंपिक दिवस का महत्व

- दुनिया भर के ओलंपियनों ने अपने उत्साह और सकारात्मकता से दुनिया को प्रेरित किया है। हाल में भी एथलीट पूरे लॉकडाउन के दौरान शरीर और दिमाग में स्वस्थ रहने के सुझावों को साझा करके संकट से निपटने में प्रशंसकों की सहायता कर रहे हैं। ओलंपिक चैनल ने ओलंपिक दिवस से पहले ओलंपिक प्रतियोगियों की विशेषता वाला एक नया घरेलू एक्सरसाइज वीडियो बनाया। संयुक्त

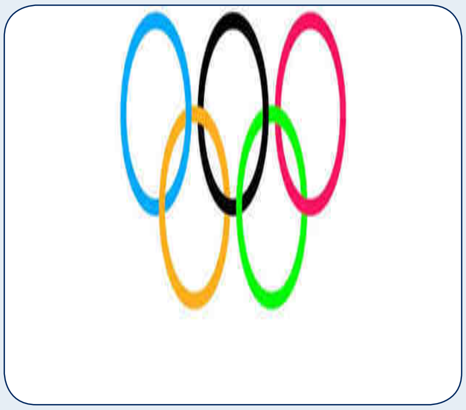

राज्य अमेरिका के लॉरी हर्नांडेज, कनाडा के मार्टिन फोरकेड, तायक्वोंडो के लुटालो मुहम्मद, पहलवान विनेश फोगट और टोंगन पिटा तौफातोफुआ जैसे कुछ ओलंपिक एथलीटों ने प्रतिस्पर्धा की।

5. अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस

- हर साल 23 जून को विश्व स्तर पर International Widows Day यानि अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया जाता है। यह दिन व्यापक रूप से विधवाओं की आवाजों और उन्हें होने वाले अनुभवों पर ध्यान आकर्षित करने और उनके द्वारा किए जाने वाले अद्वितीय समर्थन को प्रोत्साहित करने के लिए जाना जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस

- लूमबा फाउंडेशन ने साल 2005 में अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाए जाने की शुरुआत की थी। लूमबा के अनुसार, विभिन्न देशों में महिलाओं को अपने पति के मरने के बाद बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता हैं। उनकी देख-भाल न तो कोई एनजीओ करता

है, न कोई सरकार और साथ ही समाज भी उन्हें अभिशाप मानता हैं। इसलिए, 23 जून 2010 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसे आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई।

- **विधवा संरक्षण विधेयकः** सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक ने भारत में विधवाओं के संरक्षण के लिए एक विधेयक का मसौदा तैयार किया। संसद के बजट सत्र में वृंदावन में रहने वाली हजारों विधवाओं की सहायता के लिए एक विधवा संरक्षण विधेयक को बनाने की इच्छा व्यक्त की गई।

अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस का उद्देश्य

- यह दिवस विधवा महिलाओं की समस्याओं की प्रति जागरुकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। यह दिवस विधवाओं की स्थिति पर प्रकाश डालता है जिससे पता चलता है कि उन्हें समाज में किस प्रकार की उपेक्षा एवं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ज्यादातर नागरिक समाज संगठन भी समाज के इस उपेक्षित वर्ग की अनदेखी करते हैं।
- आमतौर पर विधवाओं को समाज से बहिष्कार जैसी स्थिति से गुजरना पड़ता है। विधवाओं एवं उनके बच्चों के साथ किया जाने वाला दुर्व्यवहार मानव अधिकारों की श्रेणी में गंभीर उल्लंघन है।

6. संयुक्त राष्ट्र सार्वजनिक सेवा दिवस

- संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस प्रत्येक वर्ष 23 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन विकास प्रक्रिया में लोक सेवा के योगदान को उजागर करने और समुदाय में लोक सेवा को महत्व देने के लिए मनाया है। इस दिन को दुनिया भर में विभिन्न सार्वजनिक सेवा संगठनों और विभागों द्वारा व्यापक रूप से मनाया जाता है, ताकि समुदाय में विकास और सुधार करने में लोक सेवकों की भूमिका को पहचानने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किए जा सकें।

संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस

- संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 दिसंबर 2002 को, 57/277 प्रस्ताव पारित करके प्रति वर्ष 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस के रूप मनाए जाने की घोषणा की थी। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय, न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। एंटोनियो गुटेरेस संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव हैं। उद्देश्य-समुदाय के लिए सार्वजनिक सेवा के मूल्य और गुणों (Virtue) का उत्सव मनाना।

7. अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस

- अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस (International Day of the Seafarer) 25 जून को दुनिया भर में मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (International Maritime Organisation – IMO) द्वारा समन्वित किया जाता है।
- नाविक दिवस 2021 की थीम है 'नाविकों के लिए उचित भविष्य'। नाविक दिवस 2021 का अभियान महामारी के बीच सरकारों को नाविकों का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करने पर केंद्रित होगा। अभियान महामारी के बाद नाविकों के लिए प्रासंगिक मुद्दों पर प्रकाश डालेगा, जैसे कि ILO के समुद्री श्रम सम्मेलन के अनुसार उचित काम करने की स्थिति, नाविकों के साथ उचित व्यवहार, उचित सुरक्षा, निष्पक्ष प्रशिक्षण, आदि। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (आईएमओ) ने इस दिन नाविकों को इस सवाल का जवाब देने के लिए बुलाया है कि नाविकों के लिए एक उचित भविष्य कैसा दिखता है।
- 25 जून को अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस मनाने का फैसला अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन (आईएमओ) ने वर्ष 2010 में लिया था। ध्यातव्य है कि नाविक दिवस को संयुक्त राष्ट्र ने पालन सूची (ऑब्जर्वेंस लिस्ट) में भी शामिल कर लिया गया है।

❖❖❖

ब्रेन बूस्टर

01 G20 श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक

1. चर्चा में क्यों?

- हाल ही में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री संतोष गंगवार ने इटली की अध्यक्षता में आयोजित जी-20 के श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का उद्देश्य स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणालियों में सुधार करना है।

2. मुख्य बिंदु

- संयुक्त शिक्षा और श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की घोषणा पर अपने मंत्रिस्तरीय संबोधन में श्री गंगवार ने युवा पीढ़ी को काम की दुनिया की आगामी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करने हेतु शिक्षा प्रणाली और श्रम बाजार के महत्व को स्वीकार किया, जो तेजी से विकसित हो रहा है और महामारी के कारण अब और अधिक चुनौतीपूर्ण बन गया है।
- उन्होंने कहा कि भारत ने युवाओं के क्षमता निर्माण और कौशल विकास के लिए कई पहल की है।
- राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के परिणामस्वरूप सभी क्षेत्रों में कौशल प्रयासों का अभिसरण हो रहा है।
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, युवाओं को बेहतर अवसर मुहैया कराने के लिए उद्योग से संबंधित कौशल प्रशिक्षण लेने में सक्षम बनाती है।
- इस वर्चुअल मीटिंग के दौरान G-20 मंत्रियों ने स्कूल से ऑफिस में बदलाव पर अपने विचारों का आदान-प्रदान किया।
- रोजगार कार्य समूह ने महिला रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और दूरस्थ कार्य सहित प्रमुख मुद्दों पर विचार-विमर्श किया।
- वर्ष 2014 में G-20 नेताओं ने ब्रिस्बेन में वर्ष 2025 तक पुरुषों और महिलाओं के बीच श्रम शक्ति भागीदारी दर में अंतर को 25% तक कम करने का संकल्प लिया, जिसका उद्देश्य 100 मिलियन महिलाओं को श्रम क्षेत्र में लाना, वैश्विक एवं समावेशी विकास को बढ़ाना और गरीबी एवं असमानता को कम करना था।
- मंत्रियों ने युवाओं को उनकी शिक्षा पूरी करने के बाद कार्य स्थान में एक सुचारु परिवर्तन के लिए अच्छी तरह से लैस करने की आवश्यकता को दोहराया।
- यह कदम सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित जनसंख्या समूहों से संबंधित शिक्षार्थियों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जिनके पीछे छूट जाने का खतरा अधिक होता है।
- भारत 21वीं सदी के वैश्विक कार्यक्षेत्र के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण विकसित करने में अपने युवाओं की मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत का दृष्टिकोण व्यावसायिक शिक्षा को सामान्य शैक्षणिक शिक्षा के साथ एकीकृत करना है। यह मांग संचालित, योग्यता आधारित और मॉड्यूलर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है।
- भारत मौजूदा राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (National Apprenticeship Training Scheme) को साकार करके युवाओं के लिए शिक्षा के बाद शिक्षुता (apprenticeship) के अवसरों को भी बढ़ा रहा है।

3. ब्रिस्बेन लक्ष्य तथा G-20 रोडमैप के बारे में

- इसे श्रम बाजारों के साथ-साथ सामान्य रूप से समाजों में महिलाओं और पुरुषों हेतु समान अवसर तथा परिणाम प्राप्त करने के लिये विकसित किया गया है। ब्रिस्बेन लक्ष्य की ओर तथा उससे आगे G-20 रोडमैप को इस प्रकार निर्धारित किया गया है-
  - महिलाओं के रोजगार की मात्रा और गुणवत्ता में वृद्धि करना।
  - समान अवसर सुनिश्चित करना और श्रम बाजार में बेहतर परिणाम प्राप्त करना।
  - सभी क्षेत्रों और व्यवसायों में महिलाओं और पुरुषों के समान वितरण को बढ़ावा देना।
  - लैंगिक वेतन अंतर से निपटना।
  - महिलाओं तथा पुरुषों के बीच भुगतान और अवैतनिक काम के अधिक संतुलित वितरण को प्रोत्साहित करना।
  - श्रम बाजार में भेदभाव और लैंगिक रुढ़िबद्धता का समाधान करना।

4. G-20 देश के बारे में

- G-20 समूह विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रतिनिधि, यूरोपियन संघ एवं 19 देशों का एक अनौपचारिक समूह है। G-20 समूह विश्व की प्रमुख उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों को एक साथ लाता है। यह वैश्विक व्यापार का 75%, वैश्विक निवेश का 85%, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 85% तथा विश्व की दो-तिहाई जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है।
- G-20 सदस्य देशों में शामिल हैं- जर्मनी, सऊदी अरब, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, ब्राजील, फ्रांस, भारत, दक्षिण कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली, जापान, इंडोनेशिया, मैक्सिको, यूनाइटेड किंगडम, रूस, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की और यूरोपीय संघ।

02 अंटार्कटिक संधि की 60वीं वर्षगांठ

1. चर्चा में क्यों?

- हाल ही में 1959 में हस्ताक्षरित अंटार्कटिक संधि ने अपनी 60वीं वर्षगांठ मनाई है। उल्लेखनीय है कि यह संधि शीत युद्ध के मध्य में अंटार्कटिक हितों वाले 12 देशों द्वारा स्थापित की गई थी। यह एक एकल संधि का एकमात्र उदाहरण है जो पूरे महाद्वीप को नियंत्रित करती है।

2. परिचय

- अंटार्कटिक महाद्वीप को केवल वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये संरक्षित करने एवं असैन्यीकृत क्षेत्र बनाने के लिये 1 दिसंबर, 1959 को वाशिंगटन में 12 देशों के बीच अंटार्कटिक संधि पर हस्ताक्षर किये गए थे।
- 12 मूल हस्ताक्षरकर्त्ता अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, चिली, फ्रांँस, जापान, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, दक्षिण अफ्रीका, सोवियत संघ, यूके और यूएस हैं।
- यह संधि वर्ष 1961 में लागू हुई, तत्पश्चात इसे कई अन्य देशों ने स्वीकार किया है।
- अंटार्कटिका को 60° दक्षिण अक्षांश के दक्षिण में स्थित बर्फ से आच्छादित भूमि के रूप में परिभाषित किया गया है। वर्तमान समय में इसमें 54 पक्षकार हैं। वर्ष 1983 में भारत इस संधि का सदस्य बना।
- इसका मुख्यालय ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना में है।

3. अंटार्कटिक संधि के प्रावधान

- अंटार्कटिका केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा; वैज्ञानिक अनुसंधान या किसी अन्य शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए सैन्य परिसंपत्तियों का उपयोग अपवाद के साथ किसी भी सैन्य उपायों के लिए निषिद्ध है।
- अंटार्कटिका में वैज्ञानिक जांच की स्वतंत्रता और सहयोग जो आई जी वाई के दौरान लागू की गयी थी, जारी रहेंगी।
- वैज्ञानिक कार्यक्रमों के लिए योजनाएं , टिप्पणियों और परिणाम उसके लिए स्वतंत्र रूप से विमर्श किया जाएगा; वैज्ञानिकों का अभियानों के बीच आदान-प्रदान किया जा सकता है।
- संधि के जीवन के दौरान किसी भी देश की कोई भविष्य गतिविधि क्षेत्रीय संप्रभुता का कोई अधिकार या दावों को यथास्थिति प्रभावित नहीं कर सकते हैं।
- परमाणु विस्फोट और रेडियोधर्मी कचरे के निपटान अंटार्कटिका में निषिद्ध हैं।
- संधि के प्रावधान क्षेत्र से 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश के दक्षिण में लागू होता है।
- कोई भी अनुबंधीय पक्ष निरीक्षक की नियुक्ति कर सकता है, उनके पास अंटार्टिका के किसी भी क्षेत्र में किसी भी समय पर, किसी भी अन्य देश की इमारतों, प्रतिष्ठानों, उपकरण, जहाज, विमान या हवाई निरिक्षण की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए।
- सक्रिय हस्ताक्षरकर्ता देशों की नियमित बैठकों को परामर्शदात्री आयोजित किया जाएगा।
- संविदा पक्ष सुनिश्चित करेगा की संधि के विपरीत कोई गतिविधि नहीं की जाएगी।
- संपर्क दलों के बीच जो विवाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा अंतिम उपाय के रूप में, शांतिपूर्ण बातचीत से हल किया जाएगा।
- संधि न्यूनतम 30 साल के लिए प्रभाव में रहेगा।

4. भारत का अंटार्कटिक कार्यक्रम

- यह नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक एंड ओशन रिसर्च (NCPOR) के तहत एक वैज्ञानिक अनुसंधान और अन्वेषण कार्यक्रम है।
- इसकी शुरुआत 1981 में हुई थी जब अंटार्कटिका के लिये पहला भारतीय अभियान बनाया गया था।
- NCPOR देश में ध्रुवीय और दक्षिणी महासागरीय वैज्ञानिक अनुसंधान के साथ-साथ संबंधित रसद गतिविधियों की योजना, प्रचार, समन्वय और निष्पादन के लिये नोडल एजेंसी है। इसकी स्थापना 1998 में हुई थी।
- **दक्षिण गंगोत्री:** दक्षिण गंगोत्री भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम के एक भाग के रूप में अंटार्कटिका में स्थापित पहला भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान बेस स्टेशन था। अभी यह क्षतिग्रस्त हो गया है और सिर्फ आपूर्ति का आधार बन गया है।
- **मैत्री:** मैत्री अंटार्कटिका में भारत का दूसरा स्थायी अनुसंधान केंद्र है। इसे 1989 में बनाया गया था। मैत्री, शिरमाकर ओएसिस नामक चट्टानी पहाड़ी क्षेत्र पर स्थित है। भारत ने मैत्री के आसपास मीठे पानी की एक झील भी बनाई जिसे प्रियदर्शिनी झील के नाम से जाना जाता है।
- **भारती:** भारती, 2012 से भारत का नवीनतम अनुसंधान केंद्र का संचालन कर रहा है। इसका निर्माण शोधकर्त्ताओं को कठोर मौसम के बावजूद सुरक्षित होकर काम करने में मदद के लिये किया गया है। यह भारत की पहली प्रतिबद्ध अनुसंधान सुविधा है और मैत्री से लगभग 3000 किमी

03 दूर संचार विभाग का अन्य सेवा प्रदाताओं (ओएसपी) के लिए दिशानिर्देश

1. चर्चा में क्यों?

- हाल ही में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी, संचार और कानून एवं न्याय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने घोषणा की कि दूरसंचार विभाग ने अन्य सेवा प्रदाताओं (ओएसपी) के लिए दिशानिर्देशों को और अधिक उदार बनाया है।

2. बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (बीपीओ)

- बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (बीपीओ) संस्थाएं भारत और विदेशों में वॉयस आधारित सेवाएं देने वाले बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (बीपीओ) संगठन हैं। BPO एक ऐसा व्यावसाय है जिसमें एक संगठन एक बाह्य सेवा प्रदाता के साथ एक आवश्यक व्यावसायिक कार्य करने के लिये अनुबंध करता है।
- BPO कई लाभ प्रदान करते हैं जैसे- कम लागत, वैश्विक विस्तार एवं उच्च दक्षता इसके अलावा इनमें कुछ कमियाँ जैसे- सुरक्षा मुद्दे, छिपी हुई लागत और अति निर्भरता आदि भी शामिल हैं।
- OSPs या अन्य सेवा प्रदाता ऐसी कंपनियाँ या फर्म होती हैं जो विभिन्न कंपनियों, बैंकों या अस्पताल श्रृंखलाओं के लिये क्रमशः टेलीमार्केटिंग, टेलीबैंकिंग या टेलीमेडिसिन जैसी माध्यमिक या तृतीयक सेवाएँ प्रदान करती हैं।

3. वर्तमान परिदृश्य

- वर्तमान समय में भारत का आईटी-बीपीएम उद्योग 37.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर (2019-20) यानी लगभग 2.8 लाख करोड़ रुपये का है।
- ये देश के लाखों युवाओं को रोजगार के अवसर दे रहे हैं।
- इसके अलावा, इसमें 2025 तक 55.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 3.9 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने के लिए दोहरे अंकों की वृद्धि की संभावना है।
- मौजूदा बीपीएम मार्केट-198 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है।
- आउटसोर्सिंग मार्केट-91 बिलियन (46 फीसदी) का है।
- मौजूदा बीपीएम आउटसोर्सिंग राजस्व, भारत - 38.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर (2.8 लाख करोड़ रुपये) है।

4. वर्तमान में उदारीकृत दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताएं

- घरेलू और अंतरराष्ट्रीय ओएसपी के बीच भेद हटा दिया गया है। आम दूरसंचार संसाधनों वाला एक बीपीओ केंद्र अब भारत में पूरे विश्व के ग्राहकों को सेवा प्रदान करने में सक्षम होगा।
- ओएसपी का ईपीएबीएक्स (इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट ऑटोमेटिक ब्रांच एक्सचेंज) विश्व में कहीं भी स्थित हो सकता है। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं की ईपीएबीएक्स सेवाओं का उपयोग करने के अलावा ओपीएस भारत में तीसरे पक्ष के डेटा केंद्रों में अपने ईपीएबीएक्स स्थापित कर सकते हैं।
- घरेलू और अंतरराष्ट्रीय ओएसपी केंद्रों के बीच भेद को हटाने के साथ, अब सभी तरह के ओएसपी केंद्रों के बीच इंटर कनेक्टिविटी की अनुमति दी गई है।
- ओएसपी के दूरस्थ एजेंट अब वायरलाइन/वायरलेस पर ब्रॉडबैंड सहित किसी भी तकनीक का उपयोग करके ग्राहक के ओएसपी/ईपीएबीएक्स के केंद्रीकृत ईपीएबीएक्स से सीधे संपर्क कर सकते हैं।
- एक ही कंपनी या समूह कंपनी या किसी असंबंधित कंपनी के किसी भी ओएसपी केंद्रों के बीच डेटा इंटरकनेक्टिविटी के लिए कोई प्रतिबंध नहीं।
- इसके अतिरिक्त, विनियमनों ने किसी भी पंजीकरण की जरूरत से ओएसपी को छूट दी है। इसके अलावा, कोई भी बैंक गारंटी नहीं दी गई। घर से काम करने और कहीं से भी काम करने की अनुमति भी दी गई।
- उल्लंघन के लिए जुर्माने पूरी तरह से हटा दिया गया, कुल मिलाकर विश्वास की पुष्टि करना सरकार का काम है।

5. संभावित लाभ

- ये दिशानिर्देश BPOs और IT फर्मों के लिये स्थान की लागत, परिसर के किराए और बिजली तथा इंटरनेट बिल जैसे अन्य सहायक लागतों में कटौती करना आसान बना देंगे।
- कंपनियों को अब DoT एवं OSP कर्मचारियों के विवरण प्रदान करने का अतिरिक्त अनुपालन बोझ नहीं उठाना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें विस्तारित या दूरस्थ एजेंट के रूप में पहचाना जाता है।
- पंजीकरण मानदंडों को हटाने का अर्थ यह भी होगा कि ऐसे लाइसेंसों का नवीनीकरण नहीं होगा। इससे विदेशी कंपनियों को भारत में अपनी अन्य सेवा प्रदान करने वाली इकाइयों की स्थापना या विस्तार करने में आसानी होगी।
- इसके अलावा कर्मचारियों को घर से काम करते हुए एक से अधिक कंपनियों के लिये फ्रीलांसिंग का विकल्प चुनने की अनुमति भी हो सकेगी, जिससे इस क्षेत्र में अधिक श्रमिकों को आकर्षित किया जा सकेगा।

04 केंद्र सरकार द्वारा ई-कॉमर्स नियमों में बदलाव का प्रस्ताव

1. चर्चा में क्यों?

- हाल ही में भारत सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 में प्रस्तावित संशोधनों का मसौदा साझा किया है।

2. पृष्ठभूमि

- ई-कॉमर्स में अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकने के उद्देश्य से, केंद्र सरकार ने 23 जुलाई 2020 से उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 को अधिसूचित किया था।

3. आवश्यकता क्यों?

- सरकार को असंतुष्ट उपभोक्ताओं, व्यापारियों और संघों से ई-कॉमर्स इकोसिस्टम में व्यापक धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार प्रथाओं के खिलाफ कई शिकायतें मिली हैं।
- ऐसा देखा गया है कि ई-कॉमर्स में नियामक निरीक्षण की स्पष्ट कमी थी। इसके अलावा मार्केटप्लेस ई-कॉमर्स संस्थाओं ने अनुचित व्यापार प्रथाएं शुरू कर दी हैं जिसमें कुछ विक्रेताओं को बढ़ावा देने के लिए खोज परिणामों में हेरफेर, कुछ विक्रेताओं को तरजीह, अप्रत्यक्ष रूप से विक्रेताओं को उनके मंच पर संचालित करना, उपभोक्ताओं की स्वतंत्र पसंद को प्रभावित करना, समाप्ति के करीब माल बेचना आदि शामिल हैं।
- इसके अलावा, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर तीसरे पक्ष के विक्रेताओं द्वारा पारंपरिक फ्लैश बिक्री पर प्रतिबंध नहीं है। लेकिन, कुछ ई-कॉमर्स संस्थाएं 'बैक टु बैक' या 'फ्लैश' सेल लाकर उपभोक्ता की पसंद को सीमित करती हैं, जिसमें प्लेटफॉर्म पर बेचने वाला कोई विक्रेता इन्वेंट्री या ऑर्डर को पूरा करने की क्षमता नहीं रखता है बल्कि प्लेटफॉर्म द्वारा नियंत्रित दूसरे विक्रेता के साथ केवल फ्लैश या बैक टु बैक ऑर्डर पूरा करता है। यह एक समान अवसर को रोकता है, आखिर में ग्राहक की पसंद को सीमित करता है और कीमतों में वृद्धि करता है।

4. प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य

- प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म में पारदर्शिता लाना और अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकने के लिए नियामकीय व्यवस्था को और मजबूत करना है।

5. प्रस्तावित संशोधन

- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 और नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मुख्य अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति, कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ 24x7 समन्वय के लिए एक नोडल संपर्क व्यक्ति, उनके आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अधिकारी और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए स्थायी रूप से रहने वाले शिकायत अधिकारी की नियुक्ति का प्रस्ताव किया गया है। यह अधिनियम के प्रावधानों और नियमों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करेगा और ई-कॉमर्स संस्थाओं को लेकर शिकायत निवारण तंत्र को भी मजबूत करेगा।
- प्रत्येक ई-कॉमर्स इकाई के पंजीकरण के लिए रूपरेखा तैयार की गई है जिसमें उसे उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के पास अपना पंजीकरण कराना होगा। ई-कॉमर्स संस्थाओं का पंजीकरण वास्तविक ई-कॉमर्स संस्थाओं का एक डेटाबेस बनाने में मदद करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि उपभोक्ता इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से लेनदेन करने से पहले ई-कॉमर्स इकाई की वास्तविकता को सत्यापित करने में सक्षम हों।
- उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए गलत बिक्री पर रोक लगा दी गई है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उपभोक्ताओं को उन उत्पादों के खराब होने की अंतिम तारीख के बारे में पता हो, जो वे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर खरीद रहे हैं, मार्केटप्लेस ई-कॉमर्स संस्थाओं के सभी विक्रेताओं और सभी इन्वेंट्री ई-कॉमर्स इकाइयों को इस्तेमाल की आखिरी तिथि स्पष्ट रूप से बतानी होगी जिससे उपभोक्ता खरीदारी को लेकर उचित फैसला ले सकें।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि घरेलू निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं के साथ ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उचित और समान व्यवहार हो, ऐसी व्यवस्था की बात कही गई है कि जब एक ई-कॉमर्स इकाई आयातित वस्तुओं या सेवाओं की पेशकश करे, तो उसके मूल देश की पहचान करने के लिए एक फिल्टर तंत्र होगा और घरेलू सामानों के लिए उचित अवसर सुनिश्चित करने के लिए विकल्प सुझाया जाएगा।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि उपभोक्ता उस स्थिति में प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं हों, जब विक्रेता लापरवाही के चलते सामान या सेवाएं देने में विफल रहता है और मार्केटप्लेस ई-कॉमर्स इकाई द्वारा निर्धारित कर्तव्यों और देनदारियों को पूरा करने में असफल रहता है, ऐसे में प्रत्येक मार्केटप्लेस ई-कॉमर्स इकाई के लिए देयता (देनदारी या दायित्व) का प्रावधान किया गया है।

05 महाराष्ट्र में नए डॉप्लर रडार लगाने की योजना

1. चर्चा में क्यों?

- हाल ही में भारत मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department - IMD) ने घोषणा की है कि वह इस साल मुंबई सहित महाराष्ट्र में सात नए डॉप्लर रडार स्थापित करेगा।

2. डॉप्लर रडार के बारे में

- अलग-अलग आवृत्तियों (एस-बैंड, सी-बैंड और एक्स-बैंड) के डॉप्लर का उपयोग आमतौर पर आईएमडी द्वारा लगभग 500 किमी के कवरेज क्षेत्र में मौसम प्रणालियों, क्लाउड बैंड और गेज वर्षा की गति का पता लगाने और ट्रैक करने के लिए किया जाता है।
- रडार मौसम विज्ञानियों का मार्गदर्शन करते हैं, विशेष रूप से मौसमी घटनाओं चक्रवात और संबंधित भारी वर्षा के समय में।
- रडार के माध्यम से मौसम का अवलोकन हर 10 मिनट में किया जाता है। पूर्वानुमानकर्ता मौसम प्रणालियों के विकास के साथ-साथ उनकी बदलती तीव्रता की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और तदनुसार मौसम की घटनाओं और उनके प्रभाव की भविष्यवाणी कर सकते हैं।
- एक एक्स-बैंड रडार का उपयोग आंधी और बिजली का पता लगाने के लिए किया जाता है जबकि सी-बैंड चक्रवात ट्रैकिंग के समय गाइड करता है।

3. डॉप्लर वेदर रडार

- यह रडार डॉप्लर इफेक्ट का इस्तेमाल कर अतिसूक्ष्म तरंगों को भी कैच कर लेता है। जब अतिसूक्ष्म तरंगें किसी भी वस्तु से टकराकर लौटती हैं तो यह रडार उनकी दिशा को आसानी से पहचान लेता है।
- इस तरह हवा में तैर रहे अतिसूक्ष्म पानी की बूँदों को पहचानने के साथ ही उनकी दिशा का भी पता लगा लेता है। यह बूँदों के आकार, उनकी रडार दूरी सहित उनके रफ्तार से सम्बन्धित जानकारी को हर मिनट अपडेट करता है। इस डाटा के आधार पर यह अनुमान पता कर पाना मुश्किल नहीं होता कि किस क्षेत्र में कितनी वर्षा होगी या तूफान आएगा।
- मौसम रडार वर्षा की तीव्रता के अलावा बारिश की बूंदों की गति का पता लगाते हैं। तूफानों की संरचना, हवा के पैटर्न और गंभीर मौसम पैदा करने की उनकी क्षमता को निर्धारित करने के लिए डेटा का विश्लेषण किया जाता है। इसका उपयोग वर्षा का पता लगाने, उसकी गति की गणना करने और उसके प्रकार (बारिश, बर्फ, ओले आदि) का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है।

4. डॉप्लर वेदर रडार के प्रकार

- डॉप्लर रडार को तरंग दैर्ध्य के अनुसार कई अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है जैसे- एल, एस, सी, एक्स, के।
- एस बैंड रडार 8-15 सेमी की तरंग दैर्ध्य और 2-4 गीगाहट्र्ज की आवृत्ति पर काम करते हैं। तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति के कारण, एस बैंड रडार आसानी से क्षीण नहीं होते हैं। यह उन्हें निकट और दूर के मौसम के अवलोकन के लिए उपयोगी बनाता है। एंटीना का आकार 8.5 मीटर है और इसे चलाने के लिए एक बड़ी मोटर की आवश्यकता होती है।
- एक्स बैंड रडार 2.5-4 सेमी की तरंग दैर्ध्य और 8-12 गीगाहट्र्ज की आवृत्ति पर काम करते हैं। छोटे तरंग दैर्ध्य के कारण, एक्स बैंड रडार अधिक संवेदनशील होता है और छोटे कणों का पता लगा सकता है। इन राडार का उपयोग बादल के विकास पर अध्ययन के लिए किया जाता है क्योंकि वे पानी के छोटे कणों का पता लगा सकते हैं और बर्फ जैसी हल्की वर्षा का भी पता लगा सकते हैं। एक्स बैंड रडार भी बहुत आसानी से क्षीण हो जाते हैं, इसलिए उनका उपयोग केवल बहुत कम दूरी के मौसम अवलोकन के लिए किया जाता है।
- सी बैंड राडार 4-8 सेमी की तरंग दैर्ध्य और 4-8 गीगाहट्र्ज की आवृत्ति पर काम करते हैं। तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति के कारण, डिश का आकार बहुत बड़ा होने की आवश्यकता नहीं है। संकेत अधिक आसानी से प्राप्त हो जाता है, इसलिए इस प्रकार के रडार का उपयोग कम दूरी के मौसम अवलोकन के लिए किया जाता है।

06 जम्मू और कश्मीर में परिसीमन

1. चर्चा में क्यों?

- जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन कानून, 2019 (JKRA) के तहत विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया चल रही है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल स्वतंत्रता दिवस के भाषण में साफ कर दिया था कि जम्मू-कश्मीर में पहले परिसीमन होगा, फिर चुनाव। इस प्रकार जम्मू-कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करने के लिए परिसीमन महत्वपूर्ण है।

2. आवश्यकता क्यों?

- 5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म हुआ, तब इसे दो केंद्रशासित प्रदेशों- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बांटा गया। चूंकि, जम्मू-कश्मीर में विधानसभा प्रस्तावित है, इस वजह से नए केंद्रशासित प्रदेश में परिसीमन जरूरी हो गया था।
- इसी वजह से सरकार ने मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में परिसीमन आयोग बनाया। देसाई के अलावा चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा और जम्मू-कश्मीर के चुनाव आयुक्त के के शर्मा इस परिसीमन आयोग के सदस्य हैं।

3. परिसीमन होता क्या है?

- परिसीमन यानी सीमा का निर्धारण। संविधान के अनुच्छेद 82 में स्पष्ट कहा गया है कि प्रत्येक 10 साल में जनगणना के बाद सरकार परिसीमन आयोग बना सकती है। यह आयोग ही आबादी के हिसाब से लोकसभा और विधानसभा के लिए सीटें बढ़ा-घटा सकता है।
- इसका मुख्य उद्देश्य आबादी के हिसाब से विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों को बराबरी से बांटना है ताकि पूरे देश में एक वोट की एक ही कीमत रहे। इसका उद्देश्य सीमाओं (पिछली जनगणना के आंकड़ों के आधार पर) को इस तरह से फिर से बनाना है ताकि सभी सीटों की आबादी, जहां तक संभव हो व पूरे राज्य में समान हो।
- एक निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं को बदलने के अलावा, इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप राज्य में सीटों की संख्या में भी परिवर्तन हो सकता है।

6. परिसीमन आयोग

- संविधान के तहत केंद्र सरकार परिसीमन आयोग बनाता है। पहली बार परिसीमन आयोग 1952 में बना था। इसके बाद 1963, 1973, 2002 और 2020 में भी आयोग बनाए गए हैं।
- परिसीमन आयोग द्वारा किए गए कार्यों व निर्णयों को किसी भी अदालत के समक्ष सवाल नहीं उठाया जा सकता है।
- परिसीमन अधिनियम के लागू होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा परिसीमन आयोग की नियुक्ति की जाती है और यह संस्था/निकाय निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर काम करती है।
- परिसीमन आयोग की अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय के एक अवकाश प्राप्त न्यायाधीश द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त इस आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त या मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा नामित कोई निर्वाचन आयुक्त तथा संबंधित राज्यों के निर्वाचन आयुक्त शामिल होते हैं।

4. परिसीमन से जम्मू-कश्मीर में क्या बदल जाएगा?

- परिसीमन से जम्मू-कश्मीर में में 7 सीटें बढ़ने वाली हैं। इस समय राज्य में 107 सीटें हैं, जिनमें 24 सीटें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में हैं। वहीं, चार सीटें लद्दाख में थीं, जिसके अलग होने से जम्मू-कश्मीर में इफेक्टिव स्ट्रेंथ 83 सीटों की हो जाएगी। पर, JKRA के तहत नए जम्मू-कश्मीर में 90 सीटें होंगी। यानी पहले से सात अधिक। PoK की 24 सीटें मिला दें तो सीटों की संख्या बढ़कर 114 हो जाएंगी।

5. जम्मू-कश्मीर के परिसीमन की खास बातें

- जम्मू-कश्मीर में इससे पहले 1963, 1973 और 1995 में परिसीमन हुआ था। राज्य में 1991 में जनगणना नहीं हुई थी। इस वजह से 1996 के चुनावों के लिए 1981 की जनगणना को आधार बनाकर सीटों का निर्धारण हुआ था।
- जम्मू-कश्मीर में परिसीमन के तहत जम्मू-कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट (JKRA) के प्रावधानों का भी ध्यान रखना होगा। इसे अगस्त 2019 में संसद ने पारित किया था। इसमें अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें बढ़ाने की बात भी कही गई है।
- जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन कानून, 2019 में साफ तौर पर कहा गया है कि केंद्रशासित प्रदेश में परिसीमन 2011 की जनगणना के आधार पर होगा।

07

रिफॉर्म लिंक्ड बॉरोइंग विंडो

1. चर्चा में क्यों?

- हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि स्थिरता सुनिश्चित करते हुए महामारी के दौरान जन कल्याण के लिए पर्याप्त संसाधन जुटाना सरकारों के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक साबित हुआ है, लेकिन भारतीय राज्य रिफॉर्म लिंक्ड बॉरोइंग विंडो' (Reform Linked Borrowing window) के कारण वित्तीय वर्ष 2020-21 में 1.06 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त उधार लेने में सक्षम थे।

2. रिफॉर्म लिंक्ड बॉरोइंग विंडो

- मई 2020 में आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत भारत सरकार ने घोषणा की कि राज्य सरकारों को 2020-21 के लिए ज्यादा उधार लेने की अनुमति होगी। अतिरिक्त 2% जीएसडीपी की अनुमति दी गई, जिसमें 1% पर कुछ आर्थिक सुधारों को लागू करने की शर्त जोड़ी गई।
- इसने राज्यों को अतिरिक्त फंड पाने के लिए प्रगतिशील नीतियां अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। 23 राज्यों ने संभावित ₹2.14 लाख करोड़ में से ₹1.06 लाख करोड़ की अतिरिक्त उधारी ली।
- रिफॉर्म लिंक्ड बॉरोइंग विंडो जनता और विशेष रूप से गरीब, कमजोर और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए जीवन की सुगमता में सुधार से जुड़ा था। इसके अंतर्गत राज्यों द्वारा राजकोषीय स्थिरता को भी बढ़ावा दिया गया।
- अक्तूबर 2020 में केंद्र सरकार ने चार महत्त्वपूर्ण सुधारों के कार्यान्वयन के लिये राज्यों को उधार लेने की अनुमति प्रदान की थी। ये चार सुधार हैं -एक राष्ट्र एक राशन कार्ड प्रणाली का कार्यान्वयन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार, शहरी स्थानीय निकाय एवं विद्युत क्षेत्र में सुधार।

3. एक राष्ट्र एक राशन कार्ड प्रणाली का कार्यान्वयन

- एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' नीति के तहत राज्य सरकारों को सुनिश्चित करना था कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्य में सभी राशन कार्ड, परिवार के सभी सदस्यों की आधार संख्या से जुड़ें और उचित मूल्य दुकानों में 'इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल' डिवाइस हों।
- इसके लिए 17 राज्यों ने राशन-कार्ड पोर्टेबिलिटी की सुविधा दी और उचित मूल्य की दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट-ऑफ-सेल डिवाइस स्थापित किए। इसके लिए उन्हें 37,600 करोड़ रुपये की अतिरिक्त उधारी दी गई। इससे प्रवासी मजदूरों को देश में कहीं भी राशन लेने की सुविधा प्राप्त हुई।

4. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार

- 20 राज्यों ने 39,521 करोड़ रुपये की उधारी लेने के लिए व्यवसायों द्वारा सामना किए जाने वाले लालफीताशाही को कम करने के लिए सुधारों को पूरा किया। उल्लेखनीय है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कारोबार सुगमता के लिए कई तरह के पैमाने रखे गए हैं. इनमें लेबर रेगुलेशन, ऑनलाइन सिंगल विंडो, सूचनाओं तक पहुंच, पारदर्शिता इत्यादि शामिल हैं।

5. शहरी स्थानीय निकाय में सुधार

- राज्यों को संपत्ति कर, पानी और सीवरेज शुल्क की न्यूनतम दरों को वर्तमान लागत के अनुरूप अधिसूचित करना जरूरी था। यह शहरी क्षेत्रों में स्टाम्प ड्यूटी गाइडलाइंस, लेन-देन के लिये मूल्य एवं वर्तमान लागत के अनुरूप था। 11 राज्यों ने इन सुधारों को पूरा किया और उन्हें ₹15,957 करोड़ की अतिरिक्त उधारी दी गई। इस कदम से शहरी गरीबों को सबसे ज्यादा फायदा होगा।

6. विद्युत क्षेत्र में सुधार

- चौथा सुधार किसानों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से बिजली सब्सिडी प्रदान करना था। इसके लिए वर्ष के अंत तक प्रायोगिक आधार पर एक जिले में क्रियान्वयन के साथ राज्यव्यापी योजना तैयार करनी थी। इससे जीएसडीपी के 0.15% अतिरिक्त उधारी जुड़ी थी।

स्वयं को जाँचें
(वस्तुनिष्ठ प्रश्न)

1. न्यायाधीशों का सुनवाई से खुद को अलग करना

प्र. एक न्यायाधीश सुनवाई से खुद को अलग कर सकता है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. सर्वोच्च अदालत में किस जज और किस बेंच को कौनसा मामला सौंपा जाएगा, इसका फैसला मुख्य न्यायाधीश ही करते हैं।
2. न्यायाधीशों द्वारा किसी मामले की सुनवाई से खुद को अलग करना उनके विवेक पर छोड़ा गया है।
3. वर्तमान में न्यायाधीशों कों किसी मामले की सुनवाई से खुद को अलग करते समय उसकी वजह बताने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा / से कथन सही है / हैं?

(A) केवल 1 और 2 (B) केवल 2 और 3
(C) 1, 2 और 3 (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans: (C)

2. चिल्ड्रेन एंड डिजिटल डंपसाइटः डब्ल्यूएचओ रिपोर्ट

प्र. चिल्ड्रन एंड डिजिटल डंपसाइटः डब्ल्यूएचओ रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. निम्न और मध्यम आय वाले देशों में ई-कचरा डंपिंग स्थलों पर काम करने वाले 1.8 करोड़ बच्चे और किशोर (इनमें से कुछ की उम्र तो पांच वर्ष से भी कम है) अनौपचारिक रूप से औद्योगिक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं,जिससे इनके स्वास्थ्य को गंभीर खतरा है।
2. रिपोर्ट के अनुसार 1.29 करोड़ (12.9 million) महिलाएं कचरे से जुड़े अनौपचारिक क्षेत्र में काम करती हैं, जो उन्हें संभावित रूप से जहरीले इलेक्ट्रॉनिक कचरे के संपर्क में लाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा / से कथन सही है / हैं?

(A) केवल 1 (B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों (D) न तो 1 न ही 2

Ans: (C)

3. ओडिशा में मैंग्रोव वन लगाने की योजना

प्र. ओडिशा में समुद्री तट पर मैंग्रोव वन लगाने की योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. मैंग्रोव वनों को एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन परियोजना (आईसीजेडएमपी) चरण- II के तहत लगाया जाएगा।
2. राज्य में कैसुरीना वृक्षारोपण का उद्देश्य चक्रवातों के दौरान तेज हवाओं के खिलाफ एक मजबूत, प्राकृतिक अवरोध खड़ा करना है।
3. वर्तमान में इस राज्य के तीन जिलों में 119 वर्ग किलोमीटर मैंग्रोव वन हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा / से कथन सही है / हैं?

(A) केवल 1 और 2 (B) केवल 2 और 3
(C) 1, 2 और 3 (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans: (A)

4. गोल्ड हॉलमार्किंग और इसकी अनिवार्यता

प्र. गोल्ड हॉलमार्किंग और इसकी अनिवार्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. गोल्ड हॉलमार्किंग (gold hallmarking) सोने की शुद्धता (guarantee of purity or fineness) का एक सर्टिफिकेट है।
2. हॉलमार्किंग को 'कीमती धातु की वस्तुओं एवं धातु की आनुपातिक सामग्री का सटीक निर्धारण और आधिकारिक रिकॉर्डिंग' के रूप में परिभाषित किया जाता है।
3. भारतीय मानक ब्यूरो (Bureau of Indian Standard - BIS) भारत में सोने और चांदी की हॉलमार्किंग योजना संचालित करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा / से कथन सही है / हैं?

(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) 1, 2 और 3
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans: (C)

5. न्यूट्रिनो का अंतरिक्ष पर प्रभाव

प्र. हाल ही में चर्चित शब्द 'न्यूट्रिनो' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. न्यूट्रिनो रहस्यमय कण हैं, जो सूर्य, तारों और अन्य जगहों पर परमाणु प्रतिक्रियाओं में प्रचुर मात्रा में उत्पन्न होते हैं।
2. न्यूट्रीनो उप-परमाण्विक कण होते हैं जो परमाणु संलयन, विखंडन, सुपरनोवा विस्फोट इत्यादि के दौरान उत्पन्न होते हैं।
3. ऐसा माना जाता है कि यह बिग-बैंग विस्फोट के दौरान भी न्यूट्रीनो उत्पन्न हुआ था।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा / से कथन सही है / हैं?

(A) केवल 1 और 2 (B) केवल 2 और 3
(C) 1, 2 और 3 (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans: (C)

6. चेन्नई-कन्याकुमारी औद्योगिक गलियारा

प्र. चेन्नई-कन्याकुमारी औद्योगिक गलियारा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. औद्योगिक गलियारा एक ऐसा आर्थिक पारिस्थितक तंत्र है जो परिवहन गलियारे के इर्द गिर्द खड़ा किया जाता है।
2. इस तंत्र के जरिए दो बड़े आर्थिक केंद्रों को जोड़ा जाता है।
3. इन दो केंद्रों की आर्थिक गतिविधियों के संचालन लिए परिवहन गलियारा एक तंत्रिका केंद्र की तरह काम करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा / से कथन सही है / हैं?

(A) केवल 1 और 2 (B) केवल 2 और 3
(C) 1, 2 और 3 (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans: (C)

7. समुद्र का बढ़ता जलस्तर लक्षद्वीप के लिए संकट

प्र. समुद्र का जलस्तर बढ़ने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. इस अध्ययन के अनुसार समुद्र के स्तर में बढ़ोतरी से लक्षद्वीप के चेलट और अमिनी जैसे छोटे द्वीपों को बहुत नुकसान होगा।
2. इन अनुमानों के आधार पर अमिनी में 60 से 70 प्रतिशत के बीच तट रेखा और चेलट में 70 से 80 प्रतिशत तट रेखा पर समुद्र का पानी हावी हो सकता है।
3. इसमें यह भी बताया गया है कि मिनिकॉय जैसे बड़े द्वीप और राजधानी कावारत्ती भी बढ़ते पानी के कोप से प्रभावित हो सकते हैं।
4. यहाँ वर्तमान तटरेखा के 60 प्रतिशत हिस्से का समुदी जल की चपेट में आने की आशंका है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा / से कथन सही है / हैं?

(A) केवल 1 और 2 (B) केवल 3 और 4
(C) उपर्युक्त सभी (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans: (C)

8. हर्बिसाइड टॉलरेंट (HT) बीटी कॉटन

प्र. हर्बिसाइड टॉलरेंट (HT) बीटी कॉटन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. HTBtd पास संस्करण संशोधन की एक और परत को जोड़ता है, जिससे पौधा हर्बिसाइड ग्लाइफोसेट (herbicide glyphosate)के लिए प्रतिरोधी बन जाता है, किन्तु नियामकों (regulators) द्वारा इसे अनुमोदित नहीं किया गया है।
2. आशंकाओं में ग्लाइफोसेट का कार्सिनोजेनिक प्रभाव (carcinogenic effect) होता है, साथ ही परागण के माध्यम से आस-पास के पौधों में जड़ी-बूटियों के प्रतिरोध का अनियंत्रित प्रसार होता है, जिससे विभिन्न प्रकार के सुपरवीड (superweeds) बनते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा / से कथन सही है / हैं?

(A) केवल 1 (B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों (D) न तो 1 न ही 2

Ans: (C)

9. स्टाईगारक्टस केरलेंसिस

प्र. स्टाईगारक्टस केरलेंसिस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. शोधकर्ताओं के अनुसार स्टाईगारक्टस केरलेंसिस एक नई प्रजाति है।
2. स्टाईगारक्टस केरलेंसिस की खोज उत्तरी केरल के वडकारा से एक शोध दल ने की थी।
3. स्टाईगारक्टस केरलेंसिस जीनस स्टाईगारक्टसके तहत नामित आठवीं प्रजाति है, जो 130 माइक्रोमीटर (0.13 मिमी) की लंबाई तक बढ़ती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा / से कथन सही है / हैं?

(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) 1, 2 और 3
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans: (C)

10. संयुक्त राष्ट्र में 'म्यांमार संबंधी प्रस्ताव' एवं भारत

प्र. संयुक्त राष्ट्र में 'म्यांमार संबंधी प्रस्ताव' पर मतदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 'म्यांमार में स्थिति' मसौदा प्रस्ताव को स्वीकृत किया।
2. इसके पक्ष में 189 देशों ने मतदान किया।
3. म्यांमार के पड़ोसी देश भारत, बांग्लादेश, भूटान, चीन, नेपाल, थाईलैंड और लाओस समेत 45 देशों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया।
4. बेलारूस एकमात्र ऐसा देश था, जिसने प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा / से कथन सही है / हैं?

(A) केवल 1 और 4
(B) केवल 3 और 4
(C) 2 और 3
(D) उपर्युक्त सभी

Ans: (A)

11. सिनेमेटोग्राफ (संशोधन) विधेयक-2021

प्र. हाल ही में जारी सिनेमेटोग्राफ (संशोधन) विधेयक 2021 मसौदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. इस विधेयक के माध्यम से केंद्र सरकार को 'पुनरीक्षण करने की शक्ति' (Revisionary Powers) प्रदान की गई है साथ ही केंद्र सरकार को 'केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड' (CBFC) द्वारा अनुमोदित फिल्मों की 'पुन: जांच' करने में सक्षम बनाया गया है।
2. विधेयक में आयु-आधारित वर्गीकरण और श्रेणीकरण का प्रावधान लागू करने का प्रस्ताव किया गया है।
3. इसके अंतर्गत, फिल्मों को सदा के लिए प्रमाणित करने का प्रस्ताव है। वर्तमान में CBFC द्वारा जारी प्रमाण पत्र केवल 10 वर्षों के लिए वैध होते है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा / से कथन सही है / हैं?

(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) 1, 2 और 3
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans: (C)

12. हरित हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन

प्र. 'हरित हाइड्रोजन पहल पर दो दिवसीय शिखर सम्मेलन' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. यह प्रतिष्ठित कार्यक्रम अपनी ग्रीन हाइड्रोजन पहलों और विचारों को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है।
2. प्रत्येक राष्ट्र के प्रतिनिधि हाइड्रोजन के उपयोग और उनकी भविष्य की योजनाओं पर अपने देशों द्वारा की गई संबंधित पहलों को साझा किए।
3. कार्यक्रम में भाग लेने वाले वक्ता हाइड्रोजन पर विकसित विभिन्न तकनीकों की प्रासंगिकता तथा अपने देश के लिए इसकी प्राथमिकताओं को भी साझा किए।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा / से कथन सही है / हैं?

(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) 1, 2 और 3
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans: (C)

13. ग्रेट बैरियर रीफ (Great Barrier Reef)

प्र. ग्रेट बैरियर रीफ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है।
2. यहाँ काफी अधिक समुद्री जैव विविधता पायी जाती है।
3. ग्रेट बैरियर रीफ को वर्ष 1981 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा / से कथन सही है / हैं?

(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) 1, 2 और 3
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans: (C)

14. इबोला

प्र. इबोला वायरस (Ebola Virus) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. इबोला वायरस डिसीज (रोग) या ईवीडी, इसे इबोला हेमोरेजिक फीवर या रक्त स्रावी बुखार के नाम से भी जाना जाता है। यह मनुष्यों के लिए एक दुर्लभ किन्तु गंभीर जानलेवा बीमारी है।
2. यह वायरस जानवरों से मनुष्यों में स्थानांतरित हुआ है, तथा मनुष्यों में एक दूसरे में संक्रमण के द्वारा फैला है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा / से कथन सही है / हैं?

(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 न ही 2

Ans: (C)

15. डेल्टा प्लस वैरिएंट

प्र. 'डेल्टा प्लस वैरिएंट' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने महाराष्ट्र, केरल और मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में पाये गये कोविड-19 के डेल्टा प्लस वैरिएंट को लेकर इन राज्यों को अलर्ट किया और परामर्श जारी किया है।
2. केरल के पलक्कड़ और पथनमथित्ता जिलों; और मध्य प्रदेश के भोपाल व शिवपुरी जिलों से मिले नमूनों के जीनोम अनुक्रमण में यह वैरिएंट पाया गया है।
3. डेल्टा प्लस वैरिएंट अभी 9 देशों; यथा- ब्रिटेन, अमेरिका, जापान, रूस, भारत, पुर्तगाल, स्विटजरलैंड, नेपाल और चीन में मिला है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा / से कथन सही है / हैं?

(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) 1, 2 और 3
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans: (C)

❖❖❖

स्वयं को जाँचें
(विषयनिष्ठ प्रश्न)

01

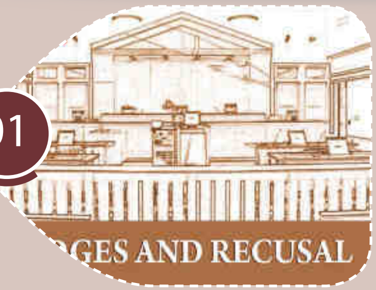

04

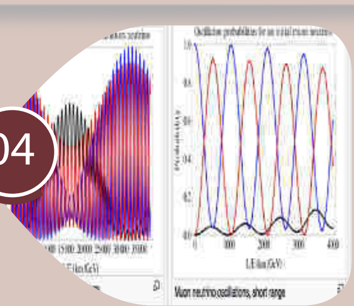

07

01 एक न्यायाधीश सुनवाई से खुद को अलग कैसे कर सकता है? इस संदर्भ में कनफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट (conflict of interest) को स्पष्ट कीजिये।

02 हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा चिल्ड्रन एंड डिजिटल डंपसाइट्स शीर्षक से प्रकाशित नई रिपोर्ट के अनुसार बेकार इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों या ई-कचरे बच्चों के स्वास्थ्य को कैसे नुकसान पहुंचाता है? व्याख्या कीजिये?

03 हाल ही में ओडिशा सरकार ने तटीय क्षेत्र में लगभग 4,000 हेक्टेयर भूमि में मैंग्रोव और कैसुरिना (casuarinas) वृक्षारोपण करने का प्रस्ताव रखा है। मैंग्रोव वन किस प्रकार से तटीय राज्यों के लिए उपयोगी हो सकते हैं? चर्चा कीजिए?

04 गोल्ड हॉलमार्किंग को स्पष्ट करते हुए बताइये कि अनिवार्य हॉलमार्किंग की व्यवस्था होने से लोग धोखाधड़ी से कैसे बचेंगे?

05 न्यूट्रिनो क्या हैं? ये किस प्रकार से ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने में मदद करते हैं? परीक्षण कीजिये?

06 औद्योगिक गलियारें की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए बताइये कि ये किस प्रकार से किसी देश की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा प्रदान करते हैं?

07 हाल ही में, भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में म्यांमार के खिलाफ शस्त्र प्रतिबंध लगाए जाने संबंधी प्रस्ताव पर होने वाले मतदान में हिस्सा नहीं लिया। भारत के इस कदम से आप कहाँ तक सहमत हैं?

08 हाल ही में सिनेमैटोग्राफ ऐक्ट 1952 में संशोधन के लिए सरकार ने नया ड्राफ्ट जारी किया है। नया संशोधन विधेयक सिनेमा जगत की स्वतंत्रता को किस प्रकार प्रभावित करेगा? मूल्यांकन कीजिये।

09 हरित हाइड्रोजन पहल क्या है? क्या अन्य ईंधनों पर इसे प्रमुखतादी जा सकती है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिये।

10 हाल ही में यूनेस्को की एक समिति ने ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ को विश्व धरोहरों की सूची में रखने की सिफारिश की है। इसके कारणों की समीक्षा कीजिये।

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

AN INTRODUCTION

Dhyeya IAS, a decade old institution, was founded by Mr. Vinay Singh and Mr. Q.H. Khan. Ever since its emergence it has unparallel track record of success. Today, it stands tall among the reputed institutes providing coaching for Civil Services Examination (CSE). The institute has been very successful in making potential realize their dreams which is evidents from success stories of the previous years.

Quite a large number of students desirous of building a career fro themselves are absolutely less equipped for the fairly tough competitive tests they have to appear in. Several others, who have a brilliant academic career, do not know that competitive exams are vartly different from academic examination and call for a systematic and scientifically planned guidance by a team of experts. Here one single move my invariably put one ahead of many others who lag behind. Dhyeya IAS is manned with qualified & experrienced faculties besides especially designed study material that helps the students in achieving the desired goal.

Civil Services Exam requires knowledge base of specified subjects. These subjects though taught in schools and colleges are not necessarily oriented towards the exam approach. Coaching classes at Dhyeya IAS are different from classes conducted in schools and colleges with respect to their orientation. Classes are targeted towards the particular exam. classroom guidance at Dhyeya IAS is about improving the individuals capacity to focus, learn and innovate as we are comfortably aware of the fact that you can't teach a person anything you can only help him find it within himself.

DSDL Prepare yourself from distance

Distance learning Programme, DSDL, primarily caters the need for those who are unable to come to metros fro economic or family reason but have ardent desire to become a civil servant. Simultaneously, it also suits to the need of working professionals, who are unable to join regular classes due to increase in work load or places of their posting. The principal characteristic of our distance learning is that the student does not need to be present in a classroom in order to participate in the instruction. It aims to create and provide access to learning when the source of information and the learners are separated by time and distance. Realizing the difficulties faced by aspirants of distant areas, especially working candidates, in making use of the institute's classroom guidance programme, distance learning system is being provided in General Studies.The distance learning material is comprehensive, concise and examoriented in nature. Its aim is to make available almost all the relevant material on a subject at one place. Materials on all topics of General Studies have been prepared in such a way that, not even a single point will be missing. In other words, you will get all points, which are otherwise to be taken from 6-10 books available in the market / library. That means, DSDL study material is undoubtedly the most comprehensive and that will definitely give you added advantage in your Preliminary as well as Main Examination. These materials are not available in any book store or library. These materials have been prepared exclusively for the use of our students. We believe in our quality and commitment towards making these notes indispensable for any student preparing for Civil Services Examination. We adhere all pillars of Distance education.

Face to Face Centres

DELHI (MUKHERJEE NAGAR) : 011-49274400 | 9205274741, **DELHI (RAJENDRA NAGAR)** : 011-41251555 | 9205274743, **DELHI (LAXMI NAGAR)** : 011-43012556 | 9205212500, **ALLAHABAD** : 0532-2260189 | 8853467068, **LUCKNOW (ALIGANJ)** 9506256789 | 7570009014, **LUCKNOW (GOMTI NAGAR)** 7234000501 | 7234000502, **GREATER NOIDA RESIDENTIAL ACADEMY** : 9205336037 | 9205336038, **BHUBANESWAR** : 8599071555, **SRINAGAR (J&K)** : 9205962002 | 9988085811

Live Streaming Centres

BIHAR: PATNA – 6204373873, 9334100961 | **CHANDIGARH** – 9216776076, 8591818500 | **DELHI & NCR** : FARIDABAD – 9711394350, 1294054621 | **GUJARAT**: AHMEDABAD - 9879113469 | **HARYANA**: HISAR – 9996887708, 9991887708, KURUKSHETRA – 8950728524, 8607221300 | **MADHYA PRADESH**: GWALIOR -9993135886, 9893481642, JABALPUR-8982082023, 8982082030, REWA –9926207755, 7662408099 | **MAHARASHTRA**: MUMBAI - 9324012585 | **PUNJAB**: PATIALA - 9041030070, LUDHIANA – 9876218943, 9888178344 | **RAJASTHAN**: JODHPUR - 9928965998 | **UTTARAKHAND**: HALDWANI-7060172525 | **UTTAR PRADESH**: ALIGARH – 9837877879, 9412175550, AZAMGARH - 7617077051, BAHRAICH - 7275758422, BAREILLY - 9917500098, GORAKHPUR - 7080847474, 7704884118, KANPUR - 7275613962, LUCKNOW (ALAMBAGH) - 7518573333, 7518373333, MORADABAD - 9927622221, VARANASI - 7408098888

YouTube dhyeyaias | dhyeyaias.com | /dhyeya1 | STUDENT PORTAL

TRUEWORD
Quest for Wisdom

Price ₹ 40

Dhyeya IAS Now on Telegram

Join Dhyeya IAS Telegram Channel from link the given below

https://t.me/dhyeya_ias_study_material

नोट : पहले अपने फ़ोन में टेलीग्राम App Play Store से Install कर ले उसके बाद लिंक में क्लिक करें जिससे सीधे आप हमारे चैनल में पहुँच जायेंगे।

You can also join Telegram Channel through our website

www.dhyeyaias.com

www.dhyeyaias.com/hindi

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400

Subscribe Dhyeya IAS Email Newsletter
(ध्येय IAS ई-मेल न्यूजलेटर सब्स्क्राइब करें)

जो विद्यार्थी ध्येय IAS के व्हाट्सएप ग्रुप (Whatsapp Group) से जुड़े हुये हैं और उनको दैनिक अध्ययन सामग्री प्राप्त होने में समस्या हो रही है | तो आप हमारेईमेल लिंक Subscribe कर ले इससे आपको प्रतिदिन अध्ययन सामग्री का लिंक मेल में प्राप्त होता रहेगा | **ईमेल से Subscribe करने के बाद मेल में प्राप्त लिंक को क्लिक करके पुष्टि (Verify) जरूर करें अन्यथा आपको प्रतिदिन मेल में अध्ययन सामग्री प्राप्त नहीं होगी |**

नोट (Note): **अगर आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में अध्ययन सामग्री प्राप्त करनी है, तो आपको दोनों में अपनी ईमेल से Subscribe करना पड़ेगा | आप दोनों माध्यम के लिए एक ही ईमेल से जुड़ सकते हैं |**

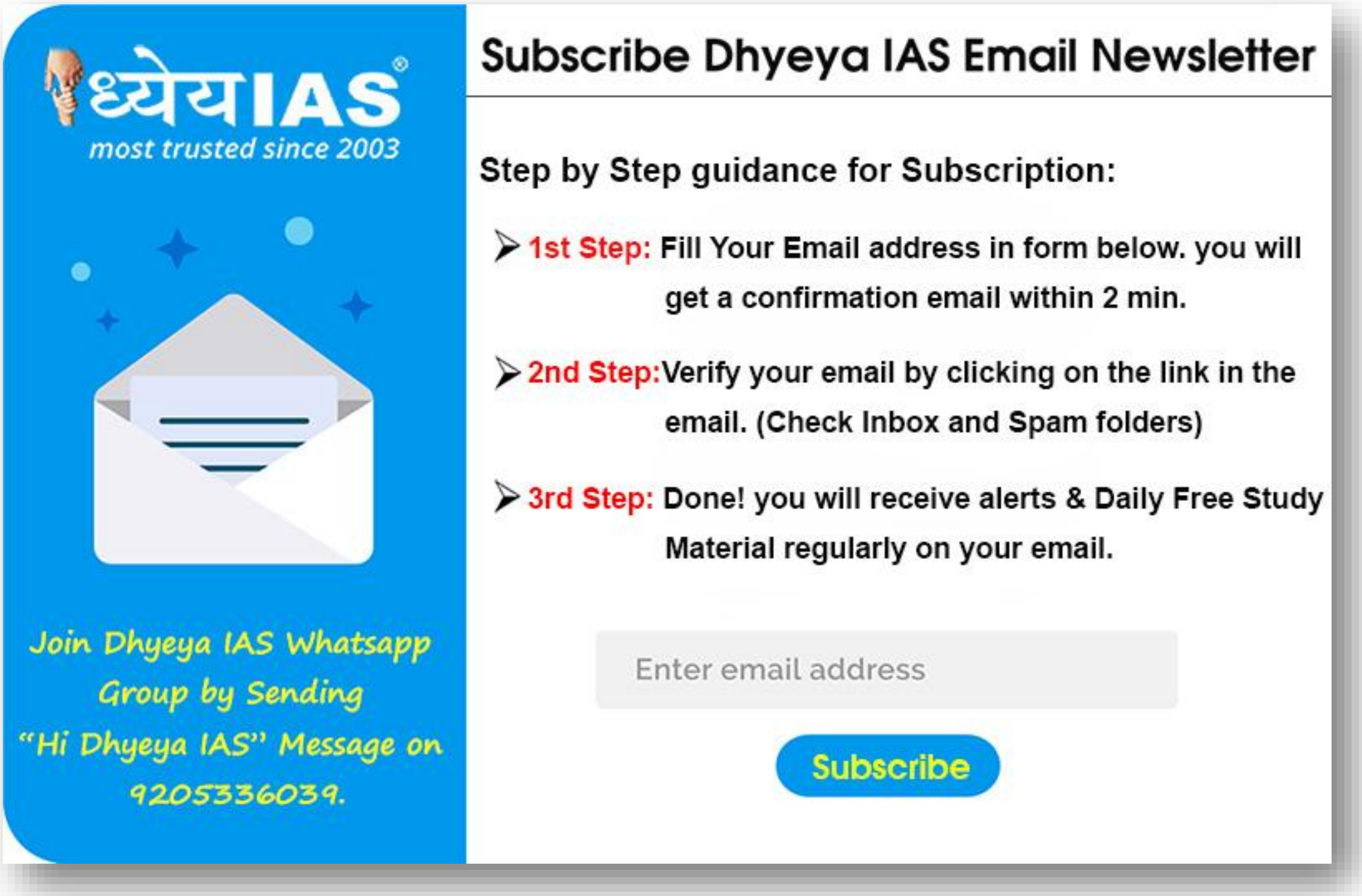

ध्येय IAS
most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

ADMISSIONS OPEN

FOR NEW ONLINE BATCH

IAS PRE-CUM-MAINS

PCS

OPTIONAL

HINDI & ENGLISH MEDIUM

Call: 9205962002 9506256789 | Whatsapp: 9205274741 | Visit: dhyeyaias.com